बिहार सरकार

प्रतिवेदन

-5412
370.6
BIH-P

शिक्षा विभाग

1980-81

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
1. प्रारम्भिक शिक्षा	1— 8
2. माध्यमिक शिक्षा	9—12
3. उच्च शिक्षा	13—15
4. शिक्षक शिक्षा	16—17
5. छात्रवृत्ति	18—26
6. वयस्क शिक्षा	27—30
7. छात्र एवं युवा कल्याण	31—35
8. कला एवं संस्कृति	36—37
9. एन० सी० सी०	38— 40
10. पुरातत्व एवं संग्रहालय	41
11. शिक्षा विभाग का प्रशासनिक तंत्र	42—44
12. प्रकीर्ण—	
(क) पुस्तकालय सेवा	45— 47
(ख) छात्रों को रियायती मूल्य पर पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका की आपूर्त्ति।	47— 49
(ग) बिहार राज्य टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन ..	50—51
(घ) बिहार माध्यमिक परीक्षा समिति	51— 54

- 5412
370.6
BIH- P

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurbindo Marg NewDelhi-110016 .
DOC. No. 6/3/92
Date ...2-1038

बिहार में शिक्षा की एक झलक, 1980-81

बिहार का क्षेत्रफल 1.74 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का 5.30 प्रतिशत है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का नवां स्थान है। क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश (4.43 लाख वर्ग किलोमीटर) है जिसका क्षेत्रफल देश के पूरे क्षेत्रफल का 13.51 प्रतिशत है तथा त्रिपुरा सबसे छोटा राज्य है (10,000 वर्ग किलोमीटर) जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का मात्र 0.30 प्रतिशत है।

जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य है। बिहार की जनसंख्या जो 1951 में 3 करोड़ 88 लाख थी वह बढ़कर 1971 में 5 करोड़ 64 लाख हो गयी एवं 1981 की जनगणना के औपबन्धिक आंकड़ों के आधार पर 6.98 करोड़ हो गयी है, जो देश की जनसंख्या का 10.21 प्रतिशत है।

यद्यपि गत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शैक्षिक सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है, तथापि जनसंख्या की इस विस्फोटक वृद्धि के कारण वे अभी भी अपर्याप्त हैं। वर्त्तमान सरकार ने जब से शासन सम्भाला है तब से विकास की प्रमुख योजनाएँ तीव्रतर की गई हैं और कई एक नई योजनाएँ लागू की गई हैं जो हरिजन, आदिवासियों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभान्वित करेंगी। वर्ष 1980-81 में योजना बजट से 2,807.98 लाख की राशि सामान्य शिक्षा प्रक्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, 27.68 लाख की राशि कला एवं संस्कृति की परियोजनाओं के लिए एवं 85 लाख की राशि पोषाहार के लिए स्वीकृत की गई। गैर-योजना बजट में इस वर्ष 277-सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 215 करोड़ 3 लाख 24 हजार एवं 278-कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 36 लाख 6 हजार रुपये का प्रावधान किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में 1980-81 वर्ष में हुई प्रगति का संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है।

1. प्रारम्भिक शिक्षा

1980-81 वर्ष में बिहार राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 50,871 एवं मध्य विद्यालयों की संख्या 10,935 थी। राज्य की विभिन्न संस्थाओं के वर्ग 1 से 5 में पढ़नेवाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्रमशः 46.35 लाख एवं 19.07 लाख थी। वर्ग 6—8 में पढ़नेवाले छात्र और छात्राओं की संख्या क्रमशः 9.36 लाख एवं 2.46 लाख थी। प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या क्रमशः 1,59,153 एवं 29,702 थी।

आलोच्य वर्ष में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्रवाई की गई। 3,000 विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया गया, जिनमें आधे बी० एस-सी० प्रशिक्षित वेतनमान में एवं शेष आधे आई० एस-सी० प्रशिक्षित वेतनमान में रहेंगे। प्रारंभिक विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 1980-81 में गैर- जनजाति एवं जनजाति क्षेत्रों में शिक्षण सामग्री एवं उपस्करों की आपूर्त्ति हेतु क्रमशः 30 लाख एवं 21.65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नांकित योजनाओं के कार्यान्वियन पर बल दिया गया :—

(1) प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण।

(2) न-औपचारिक शिक्षा।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति प्रेरक भत्ता।

(4) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य।

इनके अतिरिक्त पहले से चली आ रही योजनाएं भी आलोच्य वर्ष में चालू रहीं जो निम्नांकित हैं :—

(1) आश्रम विद्यालयों की स्थापना।
(2) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति।
(3) छात्राओं के लिए निःशुल्क पोशाक की आपूर्त्ति।
(4) पोषाहार योजना।
(5) बुक बैंक की स्थापना।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण :

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण राज्य के लिए एक प्रमुख समस्या है। योजना आयोग द्वारा गठित शिक्षा एवं संस्कृति कार्यकारी दल (अगस्त, 1980) ने अपने प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की थी कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में (जिसमें बिहार भी है), 6—11 आयु वर्ग के 95 प्रतिशत एवं 11—14 आयु वर्ग के 50 प्रतिशत बच्चों को छठी योजना के अन्त तक विद्यालयों में नामांकित किया जाए। राज्य सरकार ने अपनी छठी योजना के प्रारूप में 6—11 आयु वर्ग के 16.32 लाख बच्चों (4.38 लाख लड़के एवं 11.94 लाख लड़कियों) तथा 11—14 आयु वर्ग के 16.86 लाख बच्चों (9.23 लाख लड़के एवं 7.63 लाख लड़कियों) के नामांकन का लक्ष्य प्रस्तावित किया था, ताकि 6—11 आयु वर्ग के 92.5 प्रतिशत बच्चे तथा 11—14 आयु वर्ग के 58.5 प्रतिशत बच्चे 1984-85 तक विद्यालयों में प्रवेश पा जायं। इस प्रकार सम्मिलित आयु वर्ग 6—14 में 1984-85 के अन्त में 80 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1980—85 एवं 1981-82 की योजना की रूप-रेखा पर विचार विमर्श करने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने (दिसम्बर, 1980) में प्रस्तावित उद्व्यय में भारी कटौती करते हुए यह मत व्यक्त किया था कि 11—14 आयु वर्ग के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 16.86 लाख से घटाकर 5.00 लाख कर दिया जाय। पहले तो राज्य सरकार ने यह चाहा कि इस लक्ष्य में कटौती न की जाय और इसके लिए विशेष प्रयत्न किये जांय ताकि बिहार जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के मामले में अत्यधिक पिछड़ा है कुछ आगे बढ़ सके पर निकटतम विश्लेषण के बाद, आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों, पूर्व की प्रगति तथा वर्त्तमान प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के आलोक में पूर्व में प्रस्तावित 16.86 लाख के अतिरिक्त नामांकन लक्ष्य को रखना सम्भव न हो सका है, अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 11—14 आयु वर्ग के लिए अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य 5.00 लाख ही रखा जाय, जैसाकि कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है। 6—11 आयु वर्ग के लिए 16.32 लाख एवं 11—14 आयु वर्ग के लिए 5.00 लाख के अतिरिक्त नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति होने पर राज्य में 6—11 आयु वर्ग के 92.5 प्रतिशत एवं 11—14 आयु वर्ग के 35.5 प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में 1984-85 के अन्त तक प्रविष्ट हो सकेंगे। सम्मिलित आयु वर्ग 6—14 में इस प्रकार नामांकन का प्रतिशत 71 होगा। 1980-81 में औपबंधिक आंकड़ों के अनुसार 6—11 आयु वर्ग के 77.45 प्रतिशत एवं 11—14 आयु वर्ग के 29.2 प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में प्रविष्ट थे। 6—14 आयु वर्ग में यह प्रतिशत 60.12 था।

केप योजना (प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम) :

प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाने के उद्देश्य से केप एक नया प्रयास है। इस परियोजना के द्वारा स्कूल से बाहर के 6—14 वर्ष के बच्चों तक पहुँचने -

और उन्हें शिक्षित करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वे बच्चे कहीं भी हों। उन्हें स्कूल जाने के लिये वाध्य नहीं किया जायगा। इन बच्चों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षित नहीं कर शिक्षण मॉडल की सहायता से उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने की चेष्टा की जाएगी। इस परियोजना के प्रमुख केन्द्र होंगें सुविधा वर्गों के छात्र, लड़कियाँ और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के छात्र। 1980-81 में यह परियोजना 40 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में चालू की गई। इसके लिये 1.98 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

न–औपचारिक शिक्षा :

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में अकेले औपचारिक शिक्षा से नमांकन के लक्ष्य की पूर्त्ति में कठिनाई हो रही है। साथ-साथ औपचारिक विद्यालय वैसे बच्चे-बच्चियों के शिक्षा का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के पहले ही विद्यालय छोड़ दिया है। अतः न-औपचारिक शिक्षा को छठी योजना काल में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का एक प्रमुख अंग बनाया गया है। न-औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 6—14 आयु वर्ग के उन बच्चे-बच्चियों की शिक्षित करने की व्यवस्था है जो या तो विद्यालयों में प्रवेश ही नहीं पाये हों, अथवा प्रवेश पाने के बाद विद्यालय छोड़ने के लिए वाध्य हुए हों। इन वर्गों के बच्चे-बच्चियों के सुविधानुसार शिक्षण के स्थान का चयन एवं समय-सारिणी इत्यादि की लचकदार व्यवस्था है। भारत सरकार एवं योजना आयोग के साथ न-औपचारिक शिक्षा की प्रभावकारी रूप देने के प्रश्न पर एवं नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसे एक सशक्त साधन बनाने पर विचार-विमर्श जारी है ताकि औपचारिक शिक्षा की खर्चीली व्यवस्था के वैकल्पिक रूप में न-औपचारिक शिक्षा कम खर्च में कारगर हो सके। आलोच्य वर्ष में 2,250 न-औपचारिक शिक्षा केन्द्र चालू करने के लिए 45.59 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया। केन्द्रीय सरकार ने भी 1,058 अतिरिक्त न-औपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने तथा उपकरण हेतु एवं निदेशालय के सुदृढ़ीकरण के लिए 43.48 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। न-औपचारिक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य में 84 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में से 60 को उपस्कर, शिक्षण सामग्री आदि देकर सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

उपस्थिति पुरस्कार :

विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने की आदत डालने की दिशा में प्रोत्साहन हेतु उपस्थिति पुरस्कार के रूप में 1.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 70 हजार गैर जनजाति क्षेत्र के लिए तथा 30 हजार जन-जाति क्षेत्र के लिए थी।

हरिजनों एवं आदिवासियों को उपस्थिति प्रेरक भत्ता :

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिए उनके अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत साल में कम-से-कम 200 दिनों तक विद्यालयों में उपस्थित रहने वाले प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को जिनके अभिभावकों के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है, 15 रु० प्रतिमाह उपस्थिति प्रेरक भत्ता देने का प्रावधान था। इसके लिए आलोच्य वर्ष में 1.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य :

स्थानीय कच्चा माल एवं प्रचलित हस्तकार्य से लाभ उठाकर बच्चों के प्रशिक्षण के लिए यह योजना तैयार की गई है। ऐसे व्यवसाय एवं कार्यों का प्राथमिक चुनाव किया जा रहा है। कोशी क्षेत्र में जूट का चट तैयार करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निर्देश दिया गया है जिससे चट तैयार होने पर वे बच्चों के बैठने के काम आयें। इस कार्य में 80 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे स्कूलों में वर्कशेड बनाये जा रहे हैं एवं औजार की आपूर्त्ति की जा रही है। 1980-81 वर्ष में इस योजना पर 7.66 लाख रु० व्यय किये गये।

आश्रम विद्यालयों की स्थापना :

आलोच्य वर्ष में 18 आश्रम विद्यालयों की स्थापना का अवधि-विस्तार किया गया। उन विद्यालयों में से 16 विद्यालय जनजाति क्षेत्र में अवस्थित हैं। छात्रावास, भोजन, स्वास्थ्य और शौचालय आदि के लिए राशि की भी समुचित व्यवस्था की गयी।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति :

इस मद में कुल 2.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। 1979-80 में सिर्फ वर्ग 1 से 3 तक के ही छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें दी गयी थीं। 1980-81 में वर्ग 4 एवं 5 में पढ़नेवाले सभी हरिजन एवं आदिवासी छात्र-छात्राओं को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया। इस योजना से कुल 50.00 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए।

छात्राओं के लिये निःशुल्क पोशाक की आपूर्त्ति :

इस योजना के लिए कुल 24 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई जिससे कमजोर वर्ग के कुल 48 हजार छात्राएं लाभान्वित हुईं।

पोषाहार योजना :

इस योजना के लिए 1980-81 वित्तीय वर्ष में कुल 85.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 197 प्रखंडों में चालू है। इससे 17.00 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।

बुक-बैंक की स्थापना :

प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन यह योजना 1980-81 वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के लिए 98.00 लाख रुपये की एक बड़ी राशि की स्वीकृति दी गई। इस राशि से वर्ग 6, वर्ग 7 एवं वर्ग 8 में पढ़नेवाले हरिजन, आदिवासी तथा अन्य कमजोर वर्ग की छात्र-छात्राओं के के लिए मुफ्त पुस्तकों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक विद्यालय में 27-27 पुस्तकों के सेट दिए गए। राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में यह योजना लागू की गई। पुस्तकों के संरक्षण के लिए इस राशि में से 9 लाख रुपये बक्सों की खरीद के लिए सुरक्षित किए गए।

विद्यालय भवन का निर्माण एवं मरम्मत :

राज्य में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की कुल संख्या 61,806 है जिसमें से 40 प्रतिशत विद्यालयों की अपना भवन नहीं है तथा बाकी में से अधिकांश को मात्र दो कमरे हैं। लगभग 6,000 प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं। 1980-81 में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के निर्माण के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है एवं भौतिक लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसके संबंध में आंकड़े परिशिष्ट क पर अंकित हैं। जन जाति क्षेत्र एवं गैर जन-जाति क्षेत्र के लिए कुल 11,80,02,225 रुपये 1980-81 में स्वीकृत किए गए। इस वर्ष प्रथमिक विद्यालय के भवन निर्माण एवं मरम्मत के लिए विशेष प्रयास कर विशेष राशि स्वीकृत की गई, परन्तु भवन निर्माण के मामले इतने गहन हैं कि इसमें काफी समय एवं राशि लगने की आवश्यकता है। उपर्युक्त कार्य के अलावा भवन मरम्मत हेतु गैर-योजना मद से 1.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

शिक्षकों के वेतनमान में सुधार :

राजकीयकृत मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं को राजकीय बुनियादी विद्यालयों के प्रधानों के समकक्ष 415--745 रु० का वेतनमान दिनांक 1 अप्रील 1980 से स्वीकृत किया गया है और सम्पूर्ण सम्वर्ग के बल का 20 प्रतिशत प्रवरकोटि के पदों का सृजन 510--25--610--30--670--द० रो० --30--910--द०रो०--35--980 रुपये के वेतनमान में दिनांक 1 अप्रील 1980 से ही किया गया है।

राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिला स्कूल, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय तथा राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों में कार्यरत 1,27,500 मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की 230--340 के वेतनमान के बदले 240--396 रु० के वेतनमान की स्वीकृति दिनांक 1 अप्रील 1980 से दी गई ।

राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का दिनांक 1 जनवरी 1971 से 31 मार्च 1973 तक अन्तर वेतन की राशि स्वीकृत कर शिक्षकों के भविष्य-निधि कोष में जमा करने के लिए राज्यादेश संख्या 601, दिनांक 2 मार्च 1981 तथा 820, दिनांक 24 मार्च 1981 में क्रमशः 3,52,64,268.81 रु० तथा 2,98,43,801.64 रुपये अर्थात् कुल 6,51,08,070.45 रुपये (छः करोड़ इक्यावन लाख आठ हजार सत्तर रुपये पैंतालीस पैसे) मात्र की स्वीकृति दी गयी। यह राशि भागलपुर, गोपालगंज, संथालपरगना, समस्तीपुर, सहरसा, नवादा, हजारीबाग, कटिहार, सिवान, दरभंगा, गया, गिरिडीह, मुफ्जफरपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, धनबाद, पटना और भोजपुर जिलों के 54,642 शिक्षकों के लिए स्वीकृत की गई।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण कार्य :

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 में शिक्षक और लिपिक पद पर विकलांगों की नियुक्ति तथा शिक्षक प्रशिक्षण चर्या में उन्हें अधिक सुविधा देने के लिए राज्यादेश सं० 318, दिनांक 5 फरवरी 1981 निर्गत किया गया तथा इसके व्यापक प्रचार के लिए विज्ञप्ति प्रसारित की गई।

बिहार गैर-सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1976 की धारा 6 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के सभी जिलों में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना, उत्क्रमण, सुधार तथा प्रारंभिक शिक्षा संबंधी योजना तैयार करने के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति का गठन अधिसूचना संख्या 322; दिनांक 5 फरवरी 1981 में किया गया।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी :

1980-81 में 1,223 रेडियो सेट गैर जनजाति क्षेत्र में एवं 503 रेडियो सेट जन जाति क्षेत्र के चयनित विद्यालयों में दिए गए । आकाशवाणी, पटना द्वारा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए प्रतिदिन विशेष प्रसारण दिए जाते हैं जो पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा इन प्रसारणों के संबंध में प्रसारण-सारिणी एवं आवश्यक निदेश प्रकाशित कर वितरित किए जा चुके हैं। आकाशवाणी के प्रसारण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ।

परिशिष्ट 'क'

1980-81 में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि एवं निर्धारित भौतिक लक्ष्य

क्रमांक	परियोजना का नाम	गैर-जनजाति क्षेत्र		जन जाति क्षेत्र	
		स्वीकृत राशि	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत राशि	भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
		रु०		रु०	
1.	प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण एवं अधूरे वर्ग भवनों को पूरा करना—सामान्य योजना।	17,28,775	..	23,60,000	..
2.	प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण एवं अधूरे वर्ग भवनों को पूरा करना—विशेष योजना।	3,56,40,712	1,112 नये वर्ग भवन, 1,112 अधूरे भवनों को पूरा करना।	1,43,59,288	448 नये वर्ग भवनों का निर्माण एवं 448 अधूरे वर्ग भवनों को पूरा करना।
3.	सहशिक्षण मध्य विद्यालयों में शिक्षिका गृह, मनोरंजन गृह एवं शौचालय गृह का निर्माण।	16,61,000	53 शिक्षिका आवास, 40 मनोरंजन गृह, 400 शौचालय।	14,79,000	40 शिक्षिका आवास गृह, 32 मनोरंजन गृह, 82 शौचालय।

क्रमांक	परियोजना का नाम	गैर-जनजाति क्षेत्र		जनजाति क्षेत्र	
		स्वीकृत राशि	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत राशि	भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
4.	विशेष योजनान्तर्गत चयनित शहरी क्षेत्रों में नये वर्ग भवनों का निर्माण।	2,40,30,000	815 नये वर्ग भवनों का निर्माण।	1,37,83,000	448 नये वर्ग भवन।
5.	युनिसेफ की सहायता से बाढ़ग्रस्त चार जिलों में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण।	41,71,225	140 नये वर्ग भवन	..	
6.	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ध्वस्त भवनों की मरम्मत	1,83,00,000	..	..	..

2. माध्यमिक शिक्षा

अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण :

दिनांक 11 अगस्त 1980 को अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबन्ध एवं नियंत्रण ग्रहण) अध्यादेश, 1980 प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश के अनुसार राज्य के सभी अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों (अल्पसंख्यक, केन्द्रचालित एवं प्रोप्राइटरी माध्यमिक विद्यालयों को छोड़कर) का राजकीयकरण 2 अक्तूबर 1980 से किया गया। ऐसे राजकीयकृत विद्यालयों की संख्या 2,879 है। इन विद्यालयों के राजकीयकरण का उद्देश्य उनका उन्नयन, बेहतर संगठन एवं विकास करना है। भाषा एवं धार्मिक अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 190 है। इसके अतिरिक्त 26 विद्यालयों को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 16 विद्यालयों के मामलों पर सरकार विचार कर रही है। बाकी 10 का निष्पादन हो गया। राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा करने का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहती है। अतः किसी अल्पसंख्यक विद्यालय का राजकीयकरण नहीं किया गया है।

राज्य में भारत सरकार अथवा उसके अधीन किसी प्रतिष्ठान द्वारा एवं शिक्षा विभाग को छोड़कर राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालयों की संख्या 33 है। राज्य में प्रोप्राइटरी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या-17 है। इन विद्यालयों का सारा वित्तीय भार विद्यालय के संचालकों/स्वामियों द्वारा वहन किया जाता है। इन दोनों कोटियों के विद्यालयों का भी राजकीयकरण नहीं किया गया है।

राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयो के शिक्षकों को वर्द्धित वेतन एवं भत्ते के भुगतान के लिए राजकीय आदेश संख्या 748, दिनांक 26 मार्च 1981 द्वारा 3,29,60,000 रु० की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वशासी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान :

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नयी खोज एवं अभिनय प्रयोगों को प्रोत्साहित कर माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वशासी माध्यमिक विद्यालय की प्रस्वीकृति देने का उपबंध उपर्युक्त अध्यादेश में किया है। ऐसे विद्यालय जो आवासीय हैं तथा जिन्होंने शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त की है, उन्हें सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन स्वशासी विद्यालय के रूप में मान्यता देने का प्रावधान है।

माध्यमिक विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना :

राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए सुयोग्य प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के चुनाव के लिए एक माध्यमिक सेवा बोर्ड का गठन सितम्बर, 1980 में किया गया।

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करना :

राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया। शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान/निवृत्ति पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं उपादान की स्वीकृति हेतु संकल्प जारी किया गया। (राजकीय आदेश संख्या 1775, दिनांक 30 अगस्त 1980)

शिक्षकों के सेवा-निवृत्ति पेंशन की स्वीकृति हेतु संकल्प जारी किया जाना :

शिक्षकों को पेंशन का लाभ तुरत मिल सके इसके लिए राजकीय आदेश संख्या 777, दिनांक 30 मार्च 1981 द्वारा औपबंधिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई।

माध्यमिक विद्यालयों के लिये 500 शिक्षक इकाइयों की स्वीकृति :

राज्य के 2,879 राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए 500 शिक्षक इकाइयों की स्वीकृति राजकीय आदेश संख्या 627, दिनांक 10 मार्च 1981 द्वारा प्रदान की गयी। इनमें 50 पद जनजाति क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों के लिए थे।

राजकीयकृत विद्यालयों में भवन निर्माण, उपस्कर, क्रय एवं बुक बैंक के लिये कुल 65.13 लाख रु० की राशि की स्वीकृति दी गयी जिसका विवरण निम्नांकित है :—

मद	गैर जनजाति क्षेत्र।	जनजाति क्षेत्र।	योग	मन्तव्य
				(राशि लाख रु० में)
वर्ग-कक्ष ..	27.00	9.30	36.30	145 वर्ग-कक्ष के लिए।
कॉमन रूम-सह-शौचालय	12.15	..	12.15	40 कॉमन रूम-सह-शौचालय के लिए।
छात्रावास ..	3.59	..	3.59	7 छात्रावास के निर्माण के लिए।
उपस्कर ..	3.25	0.75	4.00	133 विद्यालयों के लिए।
बुक-बैंक की स्थापना	3.00	0.75	3.75	150 विद्यालयों में।
हरिजन क्षेत्र के लिए बुक-बैंक की स्थापना।	5.34	..	5.34	178 विद्यालयों में।
योग ..	54.33	10.80	65.13	

नेतरहाट आवासीय विद्यालय :

नेतरहाट आवासीय विद्यालय में इन्टरमीडिएट स्तर की पढ़ाई प्रारम्भ की जा चुकी है। इसकी वजह से छात्र संख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 80 शय्याओं के एक छात्रावास निर्माण की स्वीकृति 18.85 लाख रुपये की लागत पर दी गई है। इसके अतिरिक्त 8 सह-शिक्षकों, 8 तृतीय वर्गीय कर्मचारियों और 12 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए 24.56 लाख रुपये की लागत पर आवास-गृहों के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है। पुनः छात्रावास में जलापूर्त्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु एक लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गयी है। इन निर्माण कार्यों पर 1980-81 वित्तीय वर्ष में 7.22 लाख रुपया व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त पूर्व से चालू निर्माण-कार्यों पर 3.12 लाख रुपया व्यय हुआ है।

सैनिक स्कूल, तिलैया :

सैनिक स्कूल, तिलैया के स्थायी भवन निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस क्रम में कैंटीन-सह-भोजनालय के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 1980-81 में 1.50 लाख रुपया व्यय हुआ। विद्यालय में जलापूर्त्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 3.88 लाख रुपये की लागत पर एक परियोजना स्वीकृत की गयी है जिस पर 1980-81 वर्ष में 50,000 रु० व्यय हुए। विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़कर 680 हो गयी है। इस क्रम में 335 अतिरिक्त छात्रों के लिए उपस्कर, शिक्षण सामग्री, आदि की व्यवस्था हेतु 10.51 लाख रुपये व्यय हुआ। पुनः 120 छात्रों के लिए डारमिटरी का निर्माण किया गया है जिस पर 1.61 लाख रु० व्यय हुआ है।

संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा :

संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकार ने जो कदम उठाये हैं एवं उपलब्धियां हासिल की हैं उनका विवरण इस प्रकार है :—

(1) राज्य सरकार ने संकल्प संख्या 1152, दिनांक 26 दिसम्बर 1980 के द्वारा राजकीय एवं अराजकीय संस्कृत संस्थाओं एवं मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनमान में व्याप्त असमानताओं को दिनांक 1 अप्रील 1980 से दूर कर दिया है। उसी संकल्प द्वारा यह भी निर्णय लिया है कि सभी प्रस्वीकृत संस्थाओं एवं मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु सरकारी अनुदान देय होगा और उसमें प्रस्वीकृति की तिथि का

बन्धन नहीं रहेगा। इस निर्णय के आधार पर 1980-81 वित्तीय वर्ष में अधोलिखित अतिरिक्त राशियां स्वीकृत की गयीं :—

क्रमांक।	संस्था का नाम।	स्वीकृत राशि।
		रु०
1	अराजकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं टोल ..	55,29,591
2	अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय	27,42,731
3	अराजकीय मदरसा	1,64,99,122

राज्य में पूर्व से चली आ रही संस्कृत शिक्षा की प्राचीन एवं नवीन पद्धतियों का एकीकरण किया गया है। इस क्रम में प्राचीन पद्धति से संचालित संस्कृत टोलों का वर्गीकरण संस्कृत महाविद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों के रूप में किया गया है। संस्कृत एवं मदरसा दोनों तरह की संस्थाओं में प्राच्य शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की गयी है।

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन।

संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा के स्तरोन्नयन, विकास एवं उन्हें नियमित बनाने के उद्देश्य से क्रमशः बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अध्यादेश एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यादेश प्रख्यापित किये गये हैं। इन बोर्डों का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ऐसी व्यवस्था की गयी है कि मदरसा एवं संस्कृत संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान होता रहे जिससे उनकी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो सकें। इन संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन, ग्रैच्यूटी, आदि लाभ योजना की सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

3. उच्च शिक्षा

विश्वविद्यालयों को योजना एवं गैर-योजना मद में अनुदान

राज्य में सामान्य शिक्षा के प्रसार के निमित्त छः एवं संस्कृत शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय हैं। उनके तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के संधारण के लिए क्रमशः 23,98,66,874 रु० एवं 21,46,411 रु० 1980-81 वित्तीय वर्ष में दिये गये। इसके अलावे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विकास निमित्त कुल 312.13 लाख, अंगीभूत कॉलेजों के रूपान्तरण निमित्त 108 लाख रुपये एवं विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के भवन (छात्रावास सहित) की विशेष मरम्मत के लिए 100 लाख रुपये इस वर्ष दिये गये हैं। इस वर्ष विशेष विकास योजनान्तर्गत पटना एवं बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रशाल का निर्माण, पटना महिला कॉलेज में विज्ञान खंड का निर्माण, मिथिला विश्वविद्यालय में विज्ञान खंडों तथा छात्रावासों के लिए निर्माण योजनाएँ प्रमुख हैं।

कालेजों का अंगीभूतीकरण

राज्य में सभी कॉलेजों का प्रबन्ध चरणों में समान करने की स्वीकृत नीति के क्रम में 1980-81 वित्तीय वर्ष में 138 सम्बद्ध कॉलेजों को विभिन्न विश्वविद्यालयों का अंगीभूत कॉलेज बनाया गया। इसके अलावे मिथिला शोध संस्थान, राज्य के चार राजकीय संस्कृत कॉलेज तथा अन्य 17 सम्बद्ध संस्कृत कॉलेज भी कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज घोषित किये गये।

इन्टरमीडियट शिक्षा-परिषद् की स्थापना

राज्य में 10+2+3 के स्वीकृत शिक्षा क्रम को कार्यान्वित किये जाने निमित 1980-81 वित्तीय वर्ष में इन्टरमीडियेट शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई।

विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा लाये गये प्रमुख परिवर्त्तन

विश्वविद्यालयों में अनुशासन में सुधार लाने के लिए कुलानुशासक के पद की व्यवस्था की गई तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को सुदृढ़ करने निमित्त प्रतिकुलपति तथा भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारी को वित्तीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया। अंगीभूत कॉलेजों में आन्तरिक व्यवस्था ठीक रखने एवं उन्हें विकासोन्मुख बनाये रखने के उद्देश्य से सलाहकार समिति के गठन की व्यवस्था की गई है जिसके कार्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे। शिक्षकों की नियक्तियां अब तक बिहार लोक-सेवा आयोग

द्वारा कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसाओं पर की जाती थीं। इस वर्ष विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्ति की शर्तों के अनुरूप सभी विश्व-विद्यालयों में विश्वविद्यालय-चयन-समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया जा चुका है। शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के अन्तरविश्वविद्यालय स्थानान्तरण की व्यवस्था भी विशेष परिस्थिति में किये जाने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को दी गई प्रमुख सुविधाएं

शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ प्रशस्त करने की दिशा में त्रिविध लाभ योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रील 1972 से दिनांक 31 मार्च 1978 के बीच सेवा-निवृत्त एवं/अथवा नियुक्त व्यक्ति सेवा निवृत्ति पर निम्नांकित में से किसी भी सुविधा के लिए विकल्प दे सकते हैं :—

(1) 10 प्रतिशत अंशदायी भविष्य निधि ;

(2) 8 प्रतिशत अंशदायी भविष्यनिधि-सह-उपादान;

(3) सामान्य भविष्य निधि-सह-उपादान-सह-पेंशन।

दिनांक 1 अप्रील 1978 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी को तृतीय विकल्प के अनुसार ही सेवा निवृत्ति लाभ मिल सकेगा। पुनः सेवा निवृत्ति पर वे 6 माह तक की अनुपयुक्त छुट्टी के बदले उसके लिए अनुमान्य अवकाश वेतन प्राप्त कर सकेंगे।

इसी अवधि में शिक्षकों के लिए वैयक्तिक प्रोन्नति की भी व्यवस्था स्थगन दूर करने के निमित्त की गई जिसके अनुसार शोध उपाधि प्राप्त शिक्षकों की 13 वर्ष की सेवा पर तथा अन्य को 18 वर्ष की सेवा रहने पर व्याख्याता पद से उपाचार्य की श्रेणी में प्रोन्नति दी जायगी। साथ ही साथ उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त प्रयोग प्रदर्शकों को सात वर्ष की विश्वविद्यालय या संबंधित महा-विद्यालय में लगातार सेवा होने पर व्याख्याता के रूप में व्यक्तिगत प्रोन्नति दिये जाने की व्यवस्था हुई है। इस वर्ष शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारियों की तरह केन्द्रीय दर पर स्वीकृत अतिरिक्त महंगाई भत्ता के भुगतान निमित्त अतिरिक्त 1.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। पदाधि-कारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण तक उन्हें सरकारी कर्म-चारियों की तरह अन्तरिम सहायता दिये जाने हेतु 1.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

शिक्षक एवं शिक्षकेतर पदों का सृजन :

इसके अलावे राज्य सरकार द्वारा कॉलेजों के लिए स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार आवश्यक शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद तथा कार्यभार के अनुरूप शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में सृजित किये गये हैं जिसमें उनमें शिक्षण तथा प्रशासन में अवरोध पैदा न हो।

अकादमियों की स्थापना :

1980-81 वित्तीय वर्ष में मगही अकादमी, जन-जातीय भाषा अकादमी और भारतीय भाषा अकादमी की स्थापना हुई। इसी वर्ष नव-नालन्दा महाविहार को स्वायत्त संस्था घोषित किया गया तथा उसके निदेशक तथा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के निदेशक का वेतनमान उत्क्रमित कर 1,500—2,500 रु० कर दिया गया।

विश्वविद्यालय जांच समिति का गठन :

विश्वविद्यालयों के संचालन एवं प्रशासन में सुधार निमित्त राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच आयोग श्री भी० एस० झा की अध्यक्षता में गठित की।

4. शिक्षक शिक्षा

राजकीय शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय :

राज्य में दिनांक 31 मार्च 1980 को 12 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं 94 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय थे। वर्ष 1980-81 में हजारीबाग, गया एवं छपरा में एक-एक राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं रांची में महिला राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कुल 4,15,250 रु० की लागत पर की गयी।

अनवरत शिक्षा कार्यक्रम :

वर्ष 1980-81 में राज्य में 19 अनवरत शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिये 5,64,300 रु० स्वीकृत किये गये जिसमें जन-जाति क्षेत्र में 1,000 एवं गैर-जन जाति क्षेत्र में 8,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

युनिसेफ-परियोजना :—उन्मुखीकरण-विज्ञान चर्या :

युनिसेफ योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के जन-जाति क्षेत्र के 500 एवं गैर-जन-जाति के 500 शिक्षकों को विज्ञान विषय का प्रशिक्षण दिया गया इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी, पूर्वी भारत विज्ञान कैम्प एवं विज्ञान शिविर आयोजित किया गया। विज्ञान के विद्यार्थियों के उपयोग के लिये कच्चा माल एवं 644 प्राईमरी किट बैग का क्रय किया। इन कार्यों के लिये 5,50,000 रु० स्वीकृत किये गये।

उपस्कर एवं शिक्षण सामग्री :

प्राथमिक विद्यालय के जन-जाति क्षेत्र के 275 शिक्षकों एवं गैर जन-जाति क्षेत्र के 800 शिक्षकों को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके लिये 2 लाख की राशि स्वीकृत की गयी।

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में सृजित 84 विज्ञान व्याख्याता एवं 40 प्रयोगशाला-सह-कर्मशाला सहायकों के पदों को 28 फरवरी 1981 तक अवधि विस्तार किया गया। 42 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में उपस्कर एवं शिक्षण सामग्री के क्रय के लिये 2,14,875 रु० की राशि स्वीकृत की गयी तथा राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तुरकी, समस्तीपुर, सहरसा, भागलपुर एवं देवघर के लिये उपस्कर क्रय हेतु 1,05,000 रुपये स्वीकृत किये गये।

प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम (सी० ए० पी० ई०) :

सुविधा से वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिये 40 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में कैप (सी० ए० पी० ई०) योजना चालू की गयी। इसके लिये 1,98,000 रु० स्वीकृत किये गये।

समस्याओं एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस० सी० ई० आर० टी०) की स्थापना :

शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा के स्तरोन्नयन के अतिरिक्त विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन, विश्लेषण तथा विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं की समीक्षा कर मार्ग दर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना की स्थापना राज्यादेश संख्या 1344, दिनांक 16 जनवरी 1981 द्वारा स्थायी रूप से की गई तथा इसके लिये 1,38,100 रुपये स्वीकृत किया गया है।

जन संख्या शिक्षा कोषांग :

जन संख्या शिक्षा कार्यक्रम अप्रील, 1980 से मार्च, 1983 तक स्वीकृत किया गया है। इस योजना में कुल 46.50 लाख व्यय निर्धारित है। इसमें 40.15 लाख रुपये यू० एन० एफ० पी० ए० द्वारा तथा शेष 6.35 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने एवं इस विषय के संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य में राज्य जन शिक्षा कोषांग की स्थापना राज्यादेश संख्या 134, दिनांक मार्च 1981 द्वारा दिनांक 1 फरवरी 1981 से 28 फरवरी 1981 तक स्थायी रूप से की गई है तथा इसके लिये 13,450 रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण :

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भागलपुर, तुरकी, समस्तीपुर, देवघर, हरसो के लिये सृजित एक-एक गणित व्याख्याता के पद की दिनांक 28 फरवरी 1981 तक अवधि विस्तार किया गया तथा राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रांची के लिये एक गणित व्याख्याता का पद 8,710 रु० की लागत पर दिनांक मार्च 1980 से 28 मार्च 1981 तक के लिये अस्थायी रूप से सृजित किया गया।

5. छात्रवृत्ति के क्षेत्र में उपलब्धियां

राज्य सरकार की यह स्पष्ट नीति रही है कि योग्य एवं मेधावी छात्र/छात्राओं को उनके अध्ययन हेतु यथासंभव अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। अस्तु, ऐसे मेधावी एवं योग्य छात्र/छात्राओं को अन्य शैक्षिक सुविधाएं देने के साथ-साथ आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। शिक्षा विभाग द्वारा मेधावी छात्रों को प्राथमिक स्तर से लेकर पी० एच० डी० स्तर तक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्तियों की राशि की स्वीकृति राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों द्वारा की जाती है परन्तु छात्रवृत्ति के मद में होनेवाले कुल खर्च का अधिकांश व्यय भार राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ रहा है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मेधावी एवं योग्य छात्र/छात्राओं को निम्नांकित प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं :—

(1) राष्ट्रीय मेधाविता छात्रवृत्ति—इस योजना के अन्तर्गत उत्तर माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं को 50 रु० प्रतिमाह से लेकर 125 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना से करीब 4,000 छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष लाभान्वित होते हैं। इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का अंशदान है। वित्तीय वर्ष 1979-80 में 34.23 लाख रुपये तथा 1980-81 वर्ष में 79.45 लाख रु०, कुल 1,13,68,000 रु० का व्यय हुआ है जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 27.56 लाख रु० और शेष राज्य सरकार का अंशदान है। वित्तीय वर्ष 1979-80 की राशि 34.23 लाख की निकासी वित्तीय वर्ष 1980-81 में गई है।

(2) शिक्षक-संतान-छात्रवृत्ति—इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक परीक्षा के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर से टेक्नीकिल स्तर तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 53 नवीन छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष दी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में 3.79 लाख रु० का व्यय है। वित्तीय वर्ष 1979-80 के 1,89,400 रु० की बाकी राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 1980-81 में की गई है। इस पर होनेवाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार अपने गैर-योजना मद से वहन कर रही है।

(3) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति--यह योजना इस राज्य में 1963-64 वर्ष से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत मेधावी एवं योग्य छात्र/छात्राओं को अध्ययन जारी रखने हेतु ऋण के रूप में छात्रवृत्ति दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा बीच में कुछ वर्षों के लिए इसे बन्द कर दिया गया था। पुनः 1979-80 वर्ष से केन्द्र सरकार ने इसे चालू किया है। इससे प्रतिवर्ष 2,000 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित होती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 1979-80 वर्ष में 30 लाख एवं 1980-81 वर्ष में 40 लाख, कुल 70 लाख रु० ऋण के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। यह छात्रवृत्ति जिन छात्रों को दी जाती है उनके अध्ययन की समाप्ति के बाद उनसे किस्त के रूप में वसूल की जाती है और उसे पुनः दूसरे छात्रों को देने का प्रावधान है।

(4) **राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति**--यह योजना इस राज्य में 1971-72 से लागू है। यह छात्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभा-सम्पन्न बच्चों को माध्यमिक स्तर पर दी जाती है। प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखंड में 4-4 छात्रवृत्तियां तथा जनजाति क्षेत्र के प्रखंड में 2-2 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां कुल 2,572 छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष नये छात्रों को 250 रु० से लेकर 1,000 रु० तक प्रतिवर्ष की दर से, आठवें वर्ग से प्रारम्भ कर बोर्ड परीक्षा की समाप्ति तक दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत होनेवाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का अंशदान है। वित्तीय वर्ष 1979-80 में 61,10,300 रु० तथा 1980-81 वर्ष में 72,35,300 रु० व्यय हुए हैं जिनमें केन्द्र सरकार के 32,17,600 रु० तथा 1,01,28,000 रु० राज्य सरकार का अंशदान है। राज्य सरकार उक्त व्यय अपने गैर-योजना मद से वहन करती है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्तियां :

राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं जिनका सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार गैर-योजना एवं योजना मद से वहन करती है :--

(क) विश्वविद्यालय स्तर पर :

(1) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (राज्य)।
(2) शिक्षक-संतान-छात्रवृत्ति।
(3) मेधा-सह-निर्धनता-छात्रवृत्ति।
(4) स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधा-छात्रवृत्ति।
(5) राज्य-मेधा-छात्रवृत्ति।

(6) विज्ञान पढ़नेवाली छात्राओं को विशेष मेधाविता छात्रवृत्ति।

(7) राज्य के बाहर पढ़नेवाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति।

(8) बिहारी छात्रों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति।

(1) **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति**—राज्य सरकार ने 1980-81 वर्ष से केन्द्र सरकार के समकक्ष राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना चालू की है। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (केन्द्र) के अतिरिक्त है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दर, छात्रों का चुनाव एवं प्रक्रियाएं वही हैं जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति-योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा निर्धारित है।

(2) **शिक्षक-संतान-छात्रवृत्ति**—राज्य सरकार ने अपनी ओर से शिक्षक के बच्चों के लिए शिक्षक-संतान-छात्रवृत्ति योजना 1980-81 से लागू की है। राष्ट्रीय शिक्षक-संतान-छात्रवृत्ति देने के बाद यह छात्रवृत्ति अन्य छात्र/छात्राओं को स्वीकृत की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 53 छात्र/छात्रायें प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी। इस छात्रवृत्ति के लिए नियम और दर इत्यादि वही हैं जो केन्द्र द्वारा शिक्षक-संतान-छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित है।

(3) **मेधा-सह निर्धनता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत उत्तर माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं को 50 रु० से 60 रु० तक प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय, छात्र के मामले में 8,000 रु० तक तथा छात्रा के मामले तक 10,000 रु० तक है। यह छात्रवृत्ति मेधाविता-क्रम में प्रत्येक विश्वविद्यालय को आवंटित कोटा के आधार पर दी जाती है।

(4) **स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधा-छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय मेधा-छात्रवृत्ति देने के बाद प्रत्येक विषय की प्रतिष्ठा-परीक्षा के आधार पर प्रथम श्रेणी में एक छात्र एवं एक छात्रा को यह छात्रवृत्ति 100 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को, जो यह छात्रवृत्ति पाते हैं, 25 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास भत्ता दिया जाता है।

(5) **राज्य मेधा छात्रवृत्ति**—इस योजनान्तर्गत माध्यमिक परीक्षा एवं इन्टर परीक्षा के आधार पर छात्र/छात्राओं को मेधाक्रम में 50 रु० से 60 रु० तक प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातकचर्या में या टेक्निकल संस्थानों में पढ़ने के लिए छात्रों को यह छात्रवृत्ति 100 रु० प्रतिमाह की दर से देय है। छात्रावास में रहने वाले ऐसे विद्यार्थियों को 25 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रावास-भत्ता दिया जाता है। इस छात्रवृत्ति में आय का बंधन नहीं है।

(6) **विज्ञान पढ़नेवाली छात्राओं को विशेष मेधा-छात्रवृत्ति**—इस योजना में माध्यमिक परीक्षा के आधार पर तथा इन्टर परीक्षा के आधार पर मेधाक्रम में चयनित छात्रा को 50 रु० प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है।

(7) **राज्य के बाहर पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति**—इस योजना में माध्यमिक परीक्षा के आधार पर 50 छात्र/छात्राओं को 50 रु० प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्र/छात्राओं को देय है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय छात्र के मामले में 8,000 रु० तक तथा छात्रा के मामले में 10,000 रु० तक है।

(8) **बिहारी छात्रों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत चार बिहारी छात्रों को पी० एच० डी० करने हेतु 300 रु० प्रतिमाह की दर से चार वर्षों तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ख) माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां :

माध्यमिक स्तर पर निम्नांकित छात्रवृत्तियां स्वीकृत हैं :—

(1) राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति :

(2) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति :

(1) **राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति**—ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभा-संपन्न बच्चों को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति के समकक्ष राज्य सरकार ने राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति देने के बाद प्रतिवर्ष प्रति प्रखंड के 4-4 बच्चों को अर्थात् कुल 1,174 बच्चों को एवं शहरी क्षेत्र के 126 बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों के चुनाव की प्रक्रिया, छात्रवृत्ति की दर, इत्यादि वही हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना के लिये हैं।

(2) **मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वर्ग 8 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को 15 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ग) प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां :

प्राथमिक स्तर पर निम्नांकित छात्रवृत्तियां स्वीकृत हैं :—

(1) उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति।

(2) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।

(3) संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिये छात्रवृत्ति।

(1) **उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति**—यह छात्रवृत्ति मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह 15 रु० की दर से दी जाती है। इसके लिये प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है।

(2) **मेधा-सह निर्धनता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत वर्ग 5 से वर्ग 7 तक के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति चयन के आधार पर 10 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

(3) **संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में चयनित मध्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को 10 रु० प्रतिमाह की दर से उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार राज्य के संस्कृत उच्च विद्यालयों में एवं संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को 10 रु० से 20 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

(घ) सामान्य छात्रवृत्तियां :

(1) **राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत राज्य के राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक 10 रु० से 40 रु० तक प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(2) **अरबी फारसी संस्थानों के छात्रों को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत राज्य के अरबी फारसी पढ़नेवाले छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु 15 रु० से 40 रु० तक प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति 15 छात्रों को प्रतिवर्ष चयन के आधार पर दी जाती है।

(3) **मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवकों के तीन बच्चों तक को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति दी जाती है। प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक 30 रु० प्रतिमाह की दर से तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 50 रु० प्रतिमाह की दर से 21 वर्ष की उम्र तक यह छात्रवृत्ति देय है।

गैर-योजना एवं योजना मद में छात्रवृत्तियों पर 2.10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय होते थे जिनसे 31,000 छात्र/छात्रायें लाभान्वित होती थीं। 1980-81 से इन छात्रवृत्तियों की संख्या दूनी कर दी गयी है। अब प्रतिवर्ष 62,000 फ्रेश छात्रवृत्तियां स्वीकृत होती हैं। इनमें छात्र/छात्राओं के नामांकन अनुदान की संख्या 1,250 सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कोर्सों की अवधि-सीमा

के अनुसार इनका नवीकरण किया जाता है। गैर-योजना एवं योजना मद से स्वीकृत विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां नीचे की तालिका में अलग-अलग दी गयी हैं :—

छात्रवृत्तियों के प्रकार	छात्रवृत्तियों की संख्या		
	गैर-योजना	योजना	योग
1	2	3	4
विश्वविद्यालय स्तर पर :			
1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (राज्य) ..	2,258	2,258	4,516
2. शिक्षक-संतान-छात्रवृत्ति ..	53	53	106
3. मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति ..	6,868	7,868	14,736
4. स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधा-छात्रवृत्ति (प्रत्येक विषय की प्रतिष्ठा-परीक्षा के आधार पर एक छात्र एवं एक छात्रा को)।	2	2	4
5. राज्य मेधा-छात्रवृत्ति ..	680	2,280	2,960
6. विज्ञान पढ़ने वाली छात्राओं को विशेष मेधा-छात्रवृत्ति।	350	1,000	1,350
7. राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति।	50	..	50
8. बिहारी छात्रों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति।	1	1	2
विश्वविद्यालय स्तर पर कुल फ्रेश छात्र-वृत्तियां।	10,260	13,460	23,720

छात्रवृत्तियों के प्रकार	छात्रवृत्तियों की संख्या		
	गैर-योजना	योजना	योग
1	2	3	4
माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति :			
1. राज्य प्रतिभा-छात्रवृत्ति ..	713	1,887	2,600
2. वर्ग 8 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।	3,613	3,613	7,226
योग ..	4,326	5,500	9,826
प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति :			
1. उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति ..	5,760	12,804	18,564
2. मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति—			
(क) वर्ग 5 एवं 6 की छात्राओं को	1,750	1,750	3,500
(ख) वर्ग 5 से 7 तक के छात्र/छात्राओं को।	2,100	2,100	4,200
3. संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्र-वृत्ति—			
(क) उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति ..	..	100	100
(ख) संस्कृत विद्यालयों एवं महा-विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को।	138	138	276
योग ..	9,748	16,892	26,640

छात्रवृत्तियों के प्रकार	छात्रवृत्तियों की संख्या		
	गैर-योजना	योजना	योग
1	2	3	4
सामान्य छात्रवृत्तियां			
1, राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्ति।	कोई कोटा निर्धारित नहीं है।		
2, अरबी फारसी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।	15	15	30
3, सरकारी सेवकों (मृत) के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति।	कोई कोटा निर्धारित नहीं है।		

1980-81 से एन० सी० सी० के कैडेटों के लिये एक नयी छात्रवृत्ति चालू की गयी। इसके लिये 2.73 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। इस छात्रवृत्ति के द्वारा नवयुवकों को प्रोत्साहित किया जायगा ताकि देश की स्वतन्त्रता पर खतरे के समय वे काम आ सकें। इसके अतिरिक्त हवाई जहाज चलाने या उड़ाने आदि के कार्य से सम्बन्धित कार्यों के प्रशिक्षण हेतु बिहार से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को, जो चयनित किये जायेंगे, 200 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति, इस योजना के अन्तर्गत दी जायगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि 1981-82 से की है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर काफी अतिरिक्त खर्च का भार पड़ा है।

ज्ञातव्य है कि हरिजनों, आदिवासियों एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने उपर्युक्त छात्रवृत्तियां स्वीकृत की है।

1980-81 वित्तीय वर्ष में पूर्व से स्वीकृत छात्रवृत्तियों एवं राज्य सरकार की घोषणा के फलस्वरूप द्विगणित छात्रवृत्तियों पर हुए व्यय तथा वित्तीय वर्ष 1979-80

की बाकी राशि की निकासी 1980-81 वर्ष में की गयी जिसका विवरण इस प्रकार है :—

क्रमांक	छात्रवृत्ति का नाम	वित्तीय वर्ष 1979-80 वर्ष की राशि वित्तीय वर्ष 1980-81 में ।	वित्तीय वर्ष 1980-81 में		कुल योग
			गैर-जनजाति क्षेत्र में दी जानेवाली राशि ।	जनजाति क्षेत्र में दी जानेवाली राशि ।	
1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
1	प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति ..	..	39,06,000	3,75,600	42,81,600
2	माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति ..	71,11,700	97,11,600	23,17,600	1,91,40,900
3	विशेष शिक्षा (संस्कृत विश्वविद्यालयों में पढ़नेवाले छात्रों को छात्रवृत्ति) ।	..	51,480*	..	51,480
4	सामान्य शिक्षा (राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों एवं अरबी फारसी संस्थानों में बच्चों को छात्रवृत्ति) ।	..	4,30,688*	..	4,30,688
5	मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति ।	..	9,50,000*	..	9,50,000
6	विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति ..	77,25,400	1,96,33,475	30,28,125	3,03,87,000
	योग ..	1,48,37,100	3,46,83,243	97,21,325	5,92,41,668

*स्तभ 5 के भी आंकड़े इसी में सम्मिलित है ।

6. वयस्क शिक्षा

राज्य में वयस्क शिक्षा की समस्या एवं राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा के उद्देश्य :

1971 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 5.65 करोड़ थी जिसमें मात्र 19.94 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर थी। अनसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों में साक्षरता का प्रतिशत और कम था। यह क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत था।

बिहार राज्य में 15—35 आयुवर्ग की जनसंख्या लगभग 177 लाख है जिसमें मात्र 51.32 लाख अर्थात् 29 प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर हैं। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोग जनसंख्या के क्रमशः 14 और 10 प्रतिशत हैं। उनमें साक्षरता का प्रतिशत मात्र 5 प्रतिशत है। अतः इस विषमता को मिटाना भी राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है।

बिहार में 15—35 आयुवर्ग के अनपढ़ वयस्कों की संख्या 1.40 करोड़ है। इतनी बड़ी संख्या में अनपढ़ वयस्कों को वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में लाना व्यय साध्य तो है ही उसमें महान प्रयास की भी आवश्यकता है।

राज्य में वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम का कार्यान्वयन :

राज्य के अनपढ़ प्रौढ़ों में साक्षरता, पेशागत कुशलता तथा नागरिक चेतना लाने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1978 को राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चालू किया गया। 1978-79 तैयारी का वर्ष था। 1979-80 तक राज्य के प्रत्येक जिले में दो-दो वयस्क शिक्षा योजना चालू की गयी। इस प्रकार राज्य के 62 प्रखंडों में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया था, जिसका विवरण निम्नांकित है :—

क्रम सं०	जिला			प्रखंडों का नाम	
1	पटना	..	..	पुनपुन	बिहटा
2	नालन्दा	..	..	गिरीयक	अस्थावां
3	नवादा	..	..	सीरदला	रजौली
4	गया	..	..	डुमरिया	गुरुआ

क्रम सं०	जिला			प्रखंडों का नाम	
5	औरंगाबाद	..	..	मदनपुर	देव
6	भोजपुर	..	..	सहार	जगदीशपुर
7	रोहतास	..	..	भगवानपुर	अधौरा
8	भागलपुर	..	..	अमरपुर	बांका
9	मुंगेर	..	..	लक्ष्मीपुर	खड़गपुर
10	संथाल परगना	..	..	सिकारीपाड़ा	काठीकुंड
11	हजारीबाग	..	..	सिमरिया	चतरा
12	गिरीडीह	..	..	जमुआ	धनवार
13	धनबाद	..	..	चन्दनकियारी	चास
14	रांची	..	..	तमाड़	अरकी
15	पलामू	..	..	बालूमाथ	लातेहार
16	सिंहभूम	..	..	पटाम्दा	नीमडीह
17	पूर्णिया	..	..	बड़हरा	धमदाहा
18	कटिहार	..	..	कोढ़ा	फलका
19	सहरसा	..	..	महिषी	कहरा
20	बेगुसराय	..	..	बखरी	चेरिया बरियारपुर
21	समस्तीपुर	..	..	मोरवा	पूसा
22	दरभंगा	..	..	घनश्यामपुर	मनीगाछी
23	मधुबनी	..	..	लदनियां	बाबूबरही
24	वैशाली	..	..	पातेपुर	गोरौल
25	मुजफ्फरपुर	..	..	ढोली (मोरौल)	सकरा
26	सीतामढ़ी	..	..	मेजरगंज	रीगा
27	सारण	..	..	एकमा	मांझी
28	सिवान	..	..	गुठनी	दरौली
29	गोपालगंज	..	..	बैकुंठपुर	बरौली
30	पूर्वी चम्पारण	..	..	हरसीद्धि	पहाड़पुर
31	पश्चिमी चम्पारण	..	..	गौनाहा	रामनगर

हरिजनों एवं आदिवासियों द्वारा उठाये गये लाभ के अत्यन्त न्यून होने के कारण वर्त्तमान सरकार ने उन पर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 1980-81 में राज्य के अत्यन्त पिछड़े इलाके छोटानागपुर एवं संथाल परगना के 7 जिलों में 62 नयी

परियोजनाओं की स्वीकृति दी तथा इन क्षेत्रों में विशेष रूप से गहन कार्यक्रम चलाने हेतु निदेश दिया। अब राज्य भर में जितने केन्द्र संचालित होंगे उनमें 50 प्रतिशत केन्द्र हरिजनों के लिये होंगे।

इस तरह अबतक राज्य में राज्य सरकार द्वारा 124 प्रखंडों में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चालू किया जा चुका है। 62 प्रखंडों में 300 केन्द्र और शेष 62 प्रखंडों में 100-100 केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। राज्य में स्वीकृत केन्द्रों की कुल संख्या 24,800 है।

दिसम्बर, 1980 तक कुल कार्यरत केन्द्रों की संख्या तथा अध्ययनरत प्रौढ़ों की संख्या निम्न प्रकार है :—

खोले गये केन्द्रों की संख्या	..	7,824
लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या :—		
पुरुष ..	..	1,55,674
महिला ..	..	68,382
योग ..	..	2,24,056

इनमें अनुसूचित जाति/जन-जाति की संख्या निम्नांकित है :--

अनुसूचित जाति ..	..	59,297
अनुसूचित जन-जाति ..	..	25,895

अधिकारियों का प्रशिक्षण :

इस कार्यक्रम से सम्बन्धित जिला वयस्क शिक्षा पदाधिकारी तथा परियोजना पदाधिकारियों का प्रशिक्षण राज्य से बाहर क्रमशः दिल्ली के नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में तथा साक्षरता निकेतन, लखनऊ में होता रहा है तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण राज्य साधन केन्द्र "दीपायतन" में। सभी अनुदेशकों का प्रशिक्षण परियोजना पदाधिकारी द्वारा परियोजना स्तर पर होता है। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ही सभी पर्यवेक्षकों एवं अनुदेशकों को प्रशिक्षण दे दिया जाता है।

दीपायतन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की विवरणी :

	चर्याओं की संख्या	अवधि	कुल प्रशिक्षित लोगों की संख्या
पर्यवेक्षक	16	10 दिन	660
सांख्यिकी	1	10 दिन	30
प्रशिक्षण महाविद्यालय के व्याख्याता ..	1	3 दिन	100
परियोजना पदाधिकारी ..	2	10 दिन	31

पर्यवेक्षकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है तथा उनका प्रशिक्षण भी प्रारम्भ हो गया है। प्रथम शिविर में करीब 50 पर्यवेक्षक प्रशिक्षित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुभव एवं कठिनाइयों के आधार पर इन समस्याओं के निदान हेतु विशेष रूप से कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

7. छात्र एवं युवा कल्याण

1. राष्ट्रीय सेवा योजना :

राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। 1980-81 में इस योजना के अन्तर्गत साधारण कार्यक्रम तथा विशेष शिविरों के आयोजन कार्यक्रम में क्रमशः 24,000 और 12,000 छात्र-छात्राओं के भाग लेने का लक्ष्य स्वीकृत किया गया। साधारण कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति 60 रुपया और विशेष शिविर कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति 80 रुपया की दर से कुल 24,00,000 रुपया के खर्च का अनुमान था। इस योजना का खर्च 7:5 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तदनुसार भारत सरकार से 14,00,000 रुपया प्राप्त होना था और राज्य सरकार को 10,00,000 रुपया की व्यवस्था करनी थी। इनके समक्ष भारत सरकार से साधारण कार्यक्रम के मद में 12,000 छात्र-छात्राओं के लिए कुल 4,20,000 रुपया तथा विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए कुल 2,80,000 रुपया का अनुदान प्राप्त हुआ। तदनुसार राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 3,00,000 रुपया तथा 2,00,000 रुपया मात्र ही खर्च किये जा सके, जब कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में इस कार्यक्रम के लिए राज्य के योजना उद्व्यय में 9,00,000 रुपया निर्धारित था।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य के लिए राज्य मुख्यालय में स्थापित प्रशासनिक तंत्र के खर्च हेतु स्वीकृत राशि को छोड़ शेष राशि पटना, मगध, बिहार, ललित नारायण मिथिला, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत, राजेन्द्र कृषि, भागलपुर तथा रांची विश्वविद्यालयों एवं इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के बीच आवंटित की गई जिनके माध्यम से उक्त कार्यक्रम का संचालन किया गया।

2. स्टेडियम का निर्माण :

राजकीय मोइनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना में निर्माण कार्य के लिए योजना मद से 1,35,000 रुपया स्वीकृत किया गया।

खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में तथा कुछ अन्य प्रमुख स्थानों में खुला स्टेडियम के निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। 1980-81 में दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, सिवान, सीतामढ़ी तथा गदर्नीबाग, पटना में स्टेडियम निर्माण के लिए कुल 6,00,000 रुपया और चाईबासा तथा सिमडेगा में स्टेडियम निर्माण के लिए 50,000 रुपया स्वीकृत किये गये। इसके अलावा दरभंगा स्टेडियम को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 50,000 रुपया अनुदान बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद् के माध्यम से दिया गया।

3. भारत स्काउट एवं गाईड संस्था को अनुदान :

राज्य में स्काउट एवं गाईड को प्रोत्साहित करने के लिए भारत स्काउट एवं गाइड के बिहार राज्य शाखा को 1980-81 में योजना मद से 1,50,000 रुपया अनुदान तथा गैर योजना मद से 2,00,000 रुपया वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया गया। धनबाद जिला स्काउट ऑर्गेनाइजर को 200 रुपया मासिक दर से पारिश्रमिक मार्च, 1974 से फरवरी, 1981 तक भुगतान करने हेतु कुल 16,800 रुपया अनुदान गैर-योजना मद से स्वीकृत किया गया।

4. प्रशासनिक संगठन :

शारीरिक शिक्षा के प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ करने के लिए उत्तरी छोटा-नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, गया प्रमंडल, गया और सारण प्रमंडल, छपरा के लिए एक-एक अधीक्षक के पद के साथ कार्यालय कर्मचारियों के पदों का सृजन किया गया।

उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, पटना, रांची, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर के पदों एवं कार्यालय स्थापना की अवधि दिनांक 28 फरवरी, 1981 तक के लिए बढ़ाई गई।

गैर योजना :

जन-जाति क्षेत्र में सहायक शिक्षा निदेशक (क्रीड़ा), रांची तथा गैर जन-जाति क्षेत्र में सहायक शिक्षा निदेशक (क्रीड़ा), पटना के पदों तथा उनके कार्यालय कर्मचारियों के पदों की अवधि दिनांक 28 फरवरी, 1981 तक के लिए गैर-योजना के अन्तर्गत बढ़ाई गयी। जनजाति क्षेत्रों के लिए विभिन्न खेलों के आठ कोच तथा गैर जन-जाति क्षेत्र के लिए चार कोच के पदों की अवधि वृद्धि दिनांक 28 फरवरी, 1981 तक के लिए योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई।

5. शारीरिक शिक्षा :

शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के कार्यों से संबद्ध पदाधिकारियों तथा शिक्षकों के लिए रिफ्रेसर कोर्स संचालित करने हेतु 1980-81 में 40,000 रुपया की स्वीकृति दी गई।

राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना में विभिन्न खेलों की व्यवस्था एवं उपस्करों की आपूर्त्ति के लिए 1980-81 में योजना

मद से 1,00,000 रु० की स्वीकृति दी गई तथा गैर-योजना मद से उसके छात्र-छात्राओं के लिए कुल छात्रवृत्ति संख्या 60 से बढ़ाकर 120 तथा उसकी दर 30 रुपया से बढ़ाकर 75 रुपया नौ माह के लिए कुल 81,000 रुपया के खर्च की स्वीकृति दी गई।

6. पर्वतारोहण का प्रोत्साहन :

तुषार मानव पर्वतारोही संगठन, धनबाद को विभिन्न पर्वतारोहण के लिए गैर-योजना मद से दो बराबर किस्तों में 10,000 रुपया अनुदान स्वीकृत किया गया। पर्वतारोहण एवं संबद्ध क्रीड़ा संस्थान, मनाली (हिमाचल प्रदेश) द्वारा संचालित बेसिक कोर्स इन माउन्टेनियरिंग में प्रशिक्षण लेने हेतु शुल्क की राशि कुल 1,600 रुपया पांच छात्र-छात्राओं के लिए गैर-योजना मद से स्वीकृत की गई।

7. व्यायामशाला एवं अखाड़ा का विकास :

संचालन एवं विकास के लिए सात अखाड़ा व्यायामशालाओं को गैर-योजना मद से कुल 1,500 रुपया का अनुदान स्वीकृत किया गया।

वाणिज्यिक संस्थानों के लिए 8,100 रुपया 1980-81 में गैर-योजना मद में स्वीकृत किया गया।

8. बिहार स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल :

बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद के माध्यम से खेलकूद के विकास, प्रसार एवं प्रचार के लिए कार्यक्रम संचालित होते हैं। परिषद की निजी स्थापना पर खर्च तथा खेलकूद संस्थाओं को अनुदान देने के लिए 1980-81 में 3,00,000 रुपया अनुदान स्वीकृत किया गया।

परिषद द्वारा गैर-जन-जाति क्षेत्र में दो तथा जन-जाति क्षेत्र में पांच विद्यालयों से संबद्ध खेल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं जहां छात्र-छात्रा खिलाड़ियों को 150 रुपया की दर से मासिक वृत्तिका दी जाती है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर खर्च के लिए परिषद को 3,50,000 रुपया अनुदान स्वीकृत किया गया।

पटना में क्षेत्रीय तथा मुजफ्फरपुर और रांची में जिला खेल प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए परिषद को 50,000 रुपया अनुदान स्वीकृत किया गया।

ग्रामीण खेल-कूद प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों को सम्मिलित कराने के लिए परिषद को 3,45,000 रुपया अनुदान स्वीकृत किया गया।

अखिल भारतीय ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता ग्रूप-2 माह दिसंबर, 1980 में हजारीबाग में आयोजित हुई। इसमें बिहार राज्य के बालक खिलाड़ियों तथा बालिका खिलाड़ियों की टीमें दोनों एथलेटिक्स में चैम्पियन घोषित हुई और शिल्ड प्राप्त किये। इसी प्रकार इसी राज्य के बालक तथा बालिका खिलाड़ियों की अलग-अलग टीमें हौकी में विजयी हुई तथा स्वर्ण पदक प्राप्त किये। अखिल भारतीय ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता ग्रूप-3 चण्डीगढ़ में आयोजित किया गया था उसमें बिहार अखिल भारतीय ग्रामीण फुटबौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

खेल-कूद के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों तथा ग्रामीण खेल-कूद केन्द्रों के संचालन और स्टेडियम तथा विद्यालयों के खेल के मैदान के विकास के लिए 1979-80 में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान 1,33,000 रुपया बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद को स्वीकृत किया गया। इसमें 50,000 रुपया दरभंगा स्टेडियम के लिए शामिल था। शाखा सचिवालय, रांची स्पोर्ट्स एवं रिक्रिएशन क्लब को आर्थिक सहायता देने के लिए परिषद को 25,000 रुपया अनुदान स्वीकृत किया गया।

9. विद्यालय खेल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताएं :

विद्यालय छात्र-छात्राओं के लिए खेल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करने तथा चुने गये खिलाड़ियों को अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कराने के लिए 1980-81 में 2,00,000 रुपया की स्वीकृति दी गई।

शीतकालीन अखिल भारतीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता दिनांक 20 दिसंबर, 1980 से 2 जनवरी, 1981 तक कलकत्ता में आयोजित हुई थी। राज्य की बालक तथा बालिका टीमों को इसमें भाग लेने के लिए भेजा गया था। जूनियर एथलेट्स ने टीम चैम्पियनशिप ट्राफी जीता तथा स्वर्ण एवं कांस्य पदक प्राप्त किया। बालिका हौकी खिलाड़ी टीम विजयी घोषित हुई तथा स्वर्णपदक प्राप्त किया। बिहार की बालक भौलीवाल टीम ने कांस्य पदक जीता तथा बालिका भौलीवाल टीम ने प्रथम बार चौथा स्थान प्राप्त किया।

मिनी एथलेटिक प्रतियोगिता जिला स्कूल, मुजफ्फरपुर में दिनांक 14, 15 और 16 मार्च, 1981 को पहली बार आयोजित हुई थी, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के करीब 300 लड़कों ने भाग लिया था। यह बहुत ही सफल साबित हुआ।

10. विद्यालय एवं महाविद्यालय खेलकूद केन्द्र :

कन्या विद्यालयों में महिला खेल-कूद केन्द्र के निर्माण के लिए 1980-81 में 1,00,000 रुपया अनुदान स्वीकृत किया गया।

उच्च विद्यालयों के खेल के मैदान का विकास :

बालक उच्च विद्यालयों के खेल के मैदान के विकास के लिए 1,60,000 रुपया स्वीकृत किया गया।

खेलों के विकास के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदान :

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में खेलों के विकास के लिए राज्य के सभी (आठ) विश्वविद्यालयों को 1980-81 में कुल 5,00,000 रुपया अनुदान स्वीकृत किया गया।

8. कला एवं संस्कृति

(क) भारतीय नृत्य कला मंदिर की स्थापना :

1. **गैर योजना**—भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना, रांची शाखा एवं दुमका शाखा को क्रमशः 2,80,000 रु०, 1,75,260 रु० एवं 38,665 रु० का अनुदान स्थापना मद में दिया गया।

2. **योजना मद**—भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना के विकास के लिए (गैर-जन-जाति प्रक्षेत्र में) 60,000 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया।

भारतीय नृत्य कला मंदिर, रांची शाखा तथा दुमका शाखा में विकास के लिए (जन-जाति क्षेत्र) में 35,005 रु० की स्वीकृति दी गई।

(ख) कला और संस्कृति से संलग्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता:

1. **गैर-योजना**—(1) 27 स्वैच्छिक संस्थाओं को, गैर-योजना मद से 1,50,000 रु० अनुदान स्वीकृत किया गया। यह राशि साज-सज्जा, उपस्कर, वाद्य यंत्र आदि के मदों पर व्यय करने के लिए है।

(2) गैर-योजना मद से ही 35 संस्थाओं को संचालन, भवन निर्माण, महोत्सव, संगोष्ठी आदि मदों पर व्यय करने के लिए कुल 4,23,625 रु० का अनुदान दिया गया।

(3) गैर-योजना बजट में निम्नांकित संस्थाओं को उनके नाम के सामने अंकित राशि की स्वीकृति की गयी—

	रु०
(क) राजेन्द्र भवन निर्माण के लिए नई दिल्ली में ..	11,50,000
(ख) वैशाली में भगवान महावीर के स्मारक का निर्माण	3,00,000
(ग) छपरा में मजहरुलहक ऑडिटोरियम का निर्माण	3,00,000
कुल योग ..	17,50,000

(4) गैर-योजना मद से ही 39,300 रु०—

(क) विन्ध्य कला मंदिर, पटना;

(ख) सुहृद संघ, मुजफ्फरपुर;

(ग) बिहार आर्ट थियेटर, पटना; एवं

(घ) सेवा समाज नाट्य परिषद्, पटना की स्थापना मद पर व्यय करने के लिए स्वीकृत किया गया।

2. योजना मद—(1) योजना बजट में उपबंधित निधि से 13 संस्थाओं को भवन-निर्माण, व्यवस्थापन, साज-सज्जा, सांस्कृतिक आयोजनों के निमित्त कुल 6,97,900 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ग) युवा महोत्सव :

बिहार राज्य के प्रथम युवा महोत्सव, 1981 के आयोजन के निमित्त 2,43,000 रु० की स्वीकृति दी गई। युवा महोत्सव का आयोजन पटना में दिनांक 14 अप्रील 1981 से दिनांक 18 अप्रील 1981 तक पांच दिनों के लिए किया गया। युवा महोत्सव, 1981 में विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के युवा छात्रों ने तथा स्वेच्छिक संस्थाओं के युवा कलाकारों ने प्रतियोगिता के आधार पर (1) नृत्य, (2) संगीत, (3) नाट्य, (4) ललित कला, (5) लेख एवं वाद, विवाद एवं कवि सम्मेलन तथा मुशायरा में सफलतापूर्वक भाग लिया। सफल प्रतियोगियों को लगभग 200 पुरस्कार तथा प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

(घ) कला अकादमी की स्थापना :

राज्य सरकार ने बिहार राज्य कला अकादमी की स्थापना की स्वीकृति दी है, जिसके माध्यम से बिहार राज्य के गौरवशाली कला और संस्कृति के त्वरित विकास एव संरक्षण की दिशा में कार्य सम्पादित होगा। इस कला अकादमी के माध्यम से (1) नृत्य, (2) नाटक, (3) संगीत एवं (4) ललित कलाओं के विकास एवं सरंक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी बिहार राज्य कला अकादमी का गठन नहीं किया गया है, किन्तु अकादमी के आवश्यक व्यय के लिए 1,00,000 रु० की स्वीकृति दी गई है।

9. एन० सी० सी० निदेशालय का 1980-81 का कार्यकलाप

बिहार में एन०सी०सी० की स्थापना भारत सरकार के एन०सी०सी० अधिनियम, 1948 पारित होने के साथ-साथ ही प्रारम्भ हुई। एन०सी०सी० में कालेज छात्रों के लिए सीनियर डिवीजन, स्कूल छात्रों के लिए जूनियर डिवीजन हैं। इसी प्रकार कालेज एवं स्कूली छात्राओं के लिए भी अलग-अलग इकाइयां हैं। स्थापना के वर्ष 1948 में 1,060 छात्र सीनियर डिवीजन में एवं 4,050 छात्र जूनियर डिवीजन में थे। इसके विपरीत आज एन०सी०सी० की स्थल सेना, वायु सेना एवं जल सेना शाखाएं भी बिहार में हैं। इसके अलावा मेडिकल यूनिट, इंजीनियरिंग यूनिट आदि भी हैं। बिहार में एन०सी०सी० निदेशालय के निदेशक सेना के ब्रिगेडियर हैं। एन०सी०सी० के बिहार में 5 ग्रूप हैं, यथा—भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं रांची। ग्रूप कमाण्डर सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के पदाधिकारी होते हैं। राज्य में अभी 43 बटालियन विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं।

2. राज्य के 172 कालेजों एवं 381 स्कूलों में एन०सी०सी० का प्रशिक्षण होता है। कालेजों में 27,200 छात्र एवं 3,300 छात्राएं प्रशिक्षणरत हैं। स्कूलों में 43,200 छात्र एवं 3,300 छात्रायें प्रशिक्षणरत हैं

3. एन० सी० सी० के लक्ष्य :

(अ) नेतृत्व, आचरण, भाईचारा, खिलाड़ियों की प्रवृत्ति तथा सेवा के भाव को विकसित करना।

(ब) अनुशासित एवं प्रशिक्षित जन-शक्ति का सृजन जो राष्ट्रीय आपात-काल में राष्ट्र के काम आए।

(स) छात्रों में अधिकारियों के गुण का विकास करने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना ताकि वे प्रतिरक्षा सेवा में अधिकारी बन सकें।

4. प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण देने के लिए रक्षा मंत्रालय के 46 सैनिक औफिसर, 196 जूनियर कमिशण्ड औफिसर एवं 468 नन-कमिशण्ड औफिसर प्रतिनियुक्त हैं। इसके अलावा स्कूल एवं कालेजों के 667 अध्यापक/शिक्षक अंशकालिक एन०सी०सी० पदाधिकारी का कार्य करते हैं।

5. 1980-81 का कार्यकलाप :

स्कूल एवं कालेज खुले रहने पर अध्यापन काल के बाद छात्रों को एन०सी०सी० का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनमें अनुशासन एवं दक्षता लाने के लिए छात्रों को विभिन्न शिविरों में भी ले जाया जाता है एवं प्रशिक्षण के लिए सेना की टुकड़ियों के साथ एन०सी०सी० के अंशकालिक पदाधिकारी एवं कैडेटों को सम्बद्ध किया जाता है।

इस वित्तीय वर्ष में 20 सीनियर डिवीजन प्रशिक्षण शिविर एवं 11 जूनियर डिवीजन प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया गया, जिसमें 12,261 कैडेट्स ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के बाद उनकी दक्षता की जांच के लिए एन०सी०सी० महानिदेशक, दिल्ली द्वारा परीक्षाएं ली जाती हैं। इन परीक्षाओं में 17,106 कैडेट्स बैठे, जिसमें 14,055 उत्तीर्ण हुए।

बिहार राज्य के 2 अंशकालिक पदाधिकारी एवं 178 कैडेट्स सेना की टुकड़ियों के साथ प्रशिक्षण के लिए देश के विभिन्न भागों में 3 सप्ताह के शिविर भेजे गए थे।

प्रशिक्षण में दक्षता की जांच के लिए कैडेटों को आग्नेयास्त्र चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 45,643 कैडेटों ने भाग लिया। वायु सेना के एन० सी०सी० कैडेटों को ग्लाइडर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

महानिदेशक, एन०सी०सी० दिल्ली ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर अखिल भारतीय शिविर का आयोजन किया था, जिसमें बिहार से 446 छात्र/छात्राओं ने भाग लिया। राज्य के 10 छात्रों एवं 2 छात्राओं को आगरा भेजकर उड़ते हुए हवाई जहाज से कूदने (पारा जम्प) का प्रशिक्षण भी कराया गया। कैडेटों में साहसिक काम करने की प्रवृत्ति जगाने के लिए एन०सी०सी० निदेशालय की ओर से राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर 7 साइकिल अभियान एवं एक नौका अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से अधिक कैडेटों ने भाग लिया।

इसी प्रकार 5 कॉलेज के कैडेटों को पर्वतारोहण के प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया था। सामाजिक कार्यों में अभिरुचि जगाने के लिए छात्रों को पद-यात्रा एवं रक्त दान के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रूप ने एक गांव को सामाजिक कार्य के लिए चुना है जिसमें गांव की सफाई, सामान्य चिकित्सा की व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत आदि में कैडेट्स काफी दिलचस्पी लेते हैं।

इस वर्ष 71 कैडेटों की एक टुकड़ी एक अंशकालिक एन०सी०सी० पदाधिकारी के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली भेजी गयी थी। अखिल भारतीय प्रतियोगिता में बिहार एन०सी०सी० निदेशालय का 8वां स्थान आया। आशा की जाती है अगले वर्ष बिहार अखिल भारतीय प्रतियोगिता में और ऊँचा स्थान प्राप्त करेगा। इस प्रतियोगिता में बिहार की टुकड़ी ने कई मदों में प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं पुरस्कृत हुई।

प्रति वर्ष की भांति एन०सी०सी० दिवस के अवसर पर स्थानीय गांधी मैदान में एन०सी०सी० का परेड एवं कैडेटों द्वारा उनके प्रशिक्षण का नमूना पेश किया गया, जिसमें नौसेना के कैडेटों द्वारा समुद्र में संकेत से एक जहाज दूसरे जहाज से कैसे संवाद का आदान-प्रदान करता है, उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। वायु सेना के कैडेटों ने एरो मौडलिंग का बहुत सुन्दर प्रदर्शन किया था।

राज्य सरकार ने एन०सी०सी० कैडेटों के प्रशिक्षण में अभिरुचि बढ़ाने के लिए स्कूल एवं कॉलेज स्तरों पर एन०सी०सी० कैडेटों को कुल 715 छात्रवृत्तियाँ प्रथम बार स्वीकृत की हैं। इस पर 2,76,720 रु० का व्यय होगा।

गणतन्त्र दिवस समारोह, 1981 में दिल्ली में जिन बिहार के एन०सी०सी० कैडेट्स ने भाग लिया उनके कार्यों की समीक्षा करने के बाद राज्यपाल महोदय ने कैडेटों से मिलकर वरीय शाखा एवं कनीय शाखा के सबसे अच्छे छात्र एवं छात्रा को नगद पुरस्कार एवं स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक पुरस्कार में प्रदान किए। 1980-81 वर्ष में एन०सी०सी० के विभिन्न ग्रुपों की आपसी प्रतियोगिता में भागलपुर ग्रुप को सबसे अच्छा आंका गया और उस ग्रुप को एक रनिंग शील्ड भी प्रदान किया गया।

10. 1980-81 में पुरातत्त्व एवं संग्रहालय निदेशालय में में हुए महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण

राज्य के पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों की खोज, उनका उत्खनन, प्राचीन स्मारकों, स्थलों और पुरावशेषों की समुचित सुरक्षा, संग्रहालयों की स्थापना, संग्रहालयों में संकलित सांस्कृति सम्पदा का संरक्षण एवं उनके समुचित प्रदर्शन के माध्यम से सर्वसाधारण को शिक्षा देना, पुरावशेषों और कलाकृतियों का निबन्धन, गैर-सरकारी संग्रहालयों और पुरातात्त्विक एवं संग्रहालय के विकास हेतु अनुसंधान कर ठोस योगदान देनेवाली गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान स्वीकृत करना आदि निदेशालय के प्रमुख कार्यों में से हैं।

1980-81 में पुरातत्त्व एवं संग्रहालय निदेशालय की निम्नांकित उपलब्धियां रहीं।

उत्खनन :

1980-81 में भी नवादा जिलान्तर्गत अपसढ नामक महत्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थल की खुदाई की गई। अपसढ के उत्खनन के फलस्वरूप गुप्तोत्तर कालीन विष्णु मंदिर के भग्नावशेष के अधिकांश भाग के प्रकाश में आने से स्पष्ट हुआ कि सम्पूर्ण मंदिर एक ही समय में बना था। आयताकार चबुतरेनुमा विष्णु मंदिर पांच चबूतरों में निर्मित था जिसके ऊपरी चबूतरे पर गर्भ गृह में विष्णु की मूर्त्ति स्थापित रही होगी। गर्भ गृह में प्रवेश के लिये उत्तर दिशा में नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां बनी हुई थीं।

पुरावशेषों का अर्जन :

बिहार राज्य में बिखरी पड़ी महत्वपूर्ण कलाकृतियों को संकलित किये जाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाये गये जिसके फलस्वरूप गया संग्रहालय, भागलपुर संग्रहालय, रांची संग्रहालय आदि के लिये कुछ पुरावशेष अर्जित किये गये हैं।

संरक्षण :

राज्य के पुरावशेषों, स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, अन्वेषण एवं उत्खनन, पुरावशेषों की सुरक्षा आदि के लिये राज्य सरकार ने बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व-स्थल, अवशेष तथा कला निधि अधिनियम, 1876 लागू किया है। फलस्वरूप 1980-81 में कुछ महत्वपूण स्मारकों/स्थलों को सुरक्षित घोषित करने के लिये प्रथम अधिसूचना जारी को गई है।

संग्रहालय

संग्रहालय कम खर्च पर शिक्षा का एक सशक्त माध्यम हैं। अतः संग्रहालयों को शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र और माध्यम बनाये जाने तथा जन-जीवन को उनके निकट लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1980-81 में छपरा, बेगसराय, मधुबनी तथा दुमका में एक-एक संग्रहालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त पटना संग्रहालय, पटना के बहुमुखी विकास के लिये 1980-81 में कई राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया है।

11. शिक्षा विभाग का प्रशासनिक तंत्र

शिक्षा विभाग में दो प्रकार के पदाधिकारी हैं--सचिवालय स्तर एवं निदेशालय स्तर। सचिवालय स्तर का मूल कार्य विभागीय नीतियों का निर्धारण, कार्यक्रम तैयार करना एवं उनके कार्यान्वयन के लिए राशियों की स्वीकृति है। सचिवालय स्तर के निम्नांकित पदाधिकारी हैं:--

(1) शिक्षा आयुक्त पदेन--सचिव
(2) विशेष सचिव
(3) संयुक्त सचिव
(4) उप-सचिव
(5) अवर-सचिव

ऐसे पदों की वर्त्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(1) शिक्षा आयुक्त-पदेन सरकार के सचिव	..	1
(2) विशेष सचिव	..	2
(3) संयुक्त सचिव	..	3
(4) उप-सचिव	..	2
(5) अवर-सचिव	..	2
योग	..	10

शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का भार निदेशालय पर है। राज्य स्तर पर निम्नांकित निदेशक हैं जो अपने क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में सरकार के परामर्शी हैं:—

(1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)-सह-विशेष सचिव।
(2) निदेशक (उच्च शिक्षा)।
(3) निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।
(4) निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)।
(5) निदेशक (छात्र एवं युवा कल्याण)।
(6) निदेशक (वयस्क शिक्षा)।
(7) विशेष निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।
(8) विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।
(9) निदेशक (प्रशासन) सह-उप-सचिव।
(10) अपर निदेशक (छात्रवृत्ति)।
(11) निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय।

उपर्युक्त निदेशकों को उप-निदेशक एवं सहायक निदेशक कार्य निष्पादन में राज्य स्तर पर एवं प्रमंडलीय, जिला तथा अनुमंडलीय स्तर पर निरीक्षी पदाधिकारी सहायता करते हैं।

प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों, जो शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के प्रधान के रूप में नियुक्त हैं, उनके पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए निदेशक (प्रशासन)-सह-उप-सचिव कार्यालय प्रधान हैं। वे प्रशासन का नियंत्रण करते हैं तथा राज्य एवं फील्ड स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों की सेवा शर्तों की देख-रेख करते हैं।

फील्ड स्तर पर दो प्रकार के पदाधिकारी हैं:—

(क) पुरुष पदाधिकारी—जो बालक शिक्षा का नियंत्रण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं।
(ख) महिला पदाधिकारी—जो बालिका शिक्षा का नियंत्रण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करती हैं।

बालिका शिक्षा के लिए निरीक्षण :

सम्पूर्ण राज्य में बालिका शिक्षा का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं संगठन विद्यालय निरीक्षिका बिहार द्वारा किया जाता है जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षिका एवं उप-विद्यालय निरीक्षिका सहायता करती हैं।

बालक शिक्षा के लिये निरीक्षी पदाधिकारी :

निम्नांकित पदाधिकारी निदेशकों के अधीनस्थ हैं जो प्रमंडल, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर पदस्थापित हैं:—

(क) प्रमंडलीय स्तर--

(1) क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक—9
(2) सहायक क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक-7

(ख) जिला स्तर--

(1) जिला शिक्षा पदाधिकारी—31
(2) जिला शिक्षा अधीक्षक—34
(3) जिला विद्यालय निरीक्षिका—31
(4) उप-शिक्षा अधीक्षक—100

(ग) अनुमंडल स्तर—

(1) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी-66
(2) क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी-33
(3) विज्ञान पर्यवेक्षक—74

(घ) प्राथमिक शिक्षा की देखभाल के लिये उप-विद्यालय निरीक्षक--71

(2) प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर-विद्यालय निरीक्षक—919

इसके अतिरिक्त निदेशक, प्राध्यापक, प्राचार्य एवं व्याख्याता निम्नांकित संस्थाओं में हैं:--

(1) मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, दरभंगा ।
(2) नव-नालन्दा महाविहार, नालन्दा ।
(3) प्राकृत एवं जैन शाखा शोध संस्थान, वैशाली ।
(4) काशी प्रसाद जयसवाल शोध संस्थान, पटना ।
(5) अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, पटना ।
(6) बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना ।
(7) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पटना ।
(8) राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ।
(9) राजकीय महिला महाविद्यालय ।
(10) जिला/सर्वोदय विद्यालय ।
(11) प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ।
(12) बालिका उच्च विद्यालय ।
(13) मदरसा इसलामिया समशुल हुदा, पटना ।
(14) राजकीय संस्कृत महाविद्यालय ।
(15) सुधार विद्यालय, हजारीबाग ।
(16) बाल सुधार अग्र केन्द्र, हजारीबाग ।

पर्षद् :

(1) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ।
(2) मदरसा शिक्षा बोर्ड ।
(3) संस्कृत शिक्षा बोर्ड ।

12—प्रकीर्ण

(क) पुस्तकालय सेवा

बिहार राज्य में निम्न प्रकार के पुस्तकालय संचालित हैं:--

(क) क्लासिफ.यड पुस्तकालय

(1) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	..	सिंहा लाइब्रेरी, पटना ।
(2) प्रमंडलीय पुस्तकालय	..	2 (1. भागलपुर भगवान पुस्तकालय तथा 2. लक्ष्मीश्वर पुस्तकालय, दरभंगा) ।
(3) जिला केन्द्रीय पुस्तकालय	..	24 (जिला मुख्यालयों में) ।
(4) अनुमंडलीय पुस्तकालय	..	25 (अनुमंडल मुख्यालयों में) ।
(5) विशिष्ट पुस्तकालय	..	6
(6) प्रखण्ड पुस्तकालय	..	440 (प्रखंड मुख्यालयों में) ।

(ख) राज्य संचालित पुस्तकालय

(1) राज्य प्रमंडलीय पुस्तकालय	..	1 (रांची में) ।
(2) राज्य जिला पुस्तकालय	..	4 (दुमका, चाईबासा, धनबाद एवं पूर्णिया) ।
(3) विशिष्ट भाषा भाषियों के लिए राजकीय उर्दू पुस्तकालय ।		1 (पटना में) ।

(ग) ग्रामीण एवं अन्य शहरी पुस्तकालय

गैर-सरकारी तथा गैर-क्लासिफायड पुस्तकालय ।	लगभग 4000

पुस्तकालय का उत्क्रमण

2. इसके अतिरिक्त जन-जाति क्षेत्र में अवस्थित राज्य पुस्तकालय, रांची का उत्क्रमण राज्य प्रमंडलीय पुस्तकालय के रूप में किया गया तथा वर्गीकर्त्ता-सह-सूचीकर्त्ता वर्ग का एक पद वेतनमान 296-460 रु० में सृजित किया गया। राज्य पुस्तकालय, दुमका एवं चाईबासा के विकास के क्रम में रात्रि प्रहरी के एक-एक पद सृजित किये गये।

3. बिहार के छः श्रेष्ठतम पुस्तकालयों को विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में घोषित किया गया, जो निम्नांकित हैं:--

(1) गेट पब्लिक लाइब्रेरी, गर्दनीबाग, पटना।
(2) प्रभावती महिला पुस्तकालय, कदमकुआं, पटना।
(3) गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, पटना।
(4) श्री हिन्दी पुस्तकालय, सोहसराय (नालन्दा)।
(5) ज्ञान निकेतन पुस्तकालय, परसौनी चौक (सीतामढ़ी)।
(6) शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज (वैशाली)।

वित्तीय सहायता

4. उपर्युक्त क्लासिफाइड एवं विशिष्ट पुस्तकालयों के सुसंचालन के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष पर्याप्त मात्रा में (1) स्थापना व्यय (2) पुस्तक क्रय (3) उपस्कर क्रय तथा (4) भवन निर्माण के लिए अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त लगभग 4,000 अनक्लासिफाइड सार्वजनिक पुस्तकालय ग्रामीण पुस्तकालय के रूप में संचालित हैं जिनका संचालन स्थानीय समिति द्वारा होता है। इन पुस्तकालयों को भी राज्य सरकार विभिन्न मदों में अनदान देती है।

उपर्युक्त सभी कोटियों के पुस्तकालयों को 1980-81 में गैर-योजना एवं योजना मद से निम्नांकित अनुदान दिये गये हैं:—

(*i*) गैर-योजना मद

गैर-योजना मद में 1980-81 वर्ष में 6,00,600 रु० की स्वीकृति (क) क्लासिफाइड पुस्तकालयों के स्थापना व्यय, (ख) पुस्तकों के केन्द्रीय क्रय, (ग) कूपन पद्धति से पुस्तक, (घ) भवन-मरम्मत एवं (ङ) उपस्कर क्रय के लिए की गई। सिन्हा लाइब्रेरी (राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय), पटना को स्थापना-व्यय के लिए 3,02,000 रु० के अनुदान की स्वीकृति दी गई। श्री कृष्ण सेवा सदन (जिला केन्द्रीय पुस्तकालय)

मंगेर को स्थापना-व्यय के लिए 1,45,220 रुपया के अनुदान की स्वीकृत दी गई है।

खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लायब्रेरी, पटना को 50,000 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया।

राजा राम मोहन राय पुस्तकालय-संस्थान, कलकत्ता को वर्ष 1980-81 में 4,00,000 रुपया (2,00,000 रु० वर्ष 1979-80 का बकाया तथा 2,00,000 रुपया 1980-81 के लिए) का अनुदान स्वीकृत किया गया, क्योंकि उक्त 4,00,000 रु० के एवज में उक्त संस्थान द्वारा 8 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें बिहार के पुस्तकालयों को उपलब्ध कराई गईं।

(2) योजना मद :

गैर-जनजाति क्षेत्र के पुस्तकालयों के विकास के लिए (1) पस्तक-क्रय के मद में 3,57,000 रुपये, (2) उपस्कर-क्रय के मद में 1,24,000 रुपये तथा (3) भवन-निर्माण के लिए 4,09,900 रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई। अनुदान मात्र क्लासि-फाइड पुस्तकालयों को ही दिये गये हैं।

गैर-जनजाति क्षेत्र में अवस्थित राजकीय उर्दू लाइब्रेरी, पटना के सुसंचालन एवं विकास के लिए छः अराजपत्रित पदों का सृजन, अनमानित व्यय 34,200 रु० पर किया गया।

जनजाति क्षेत्र में अवस्थित पुस्तकालयों के विकास के लिए 2,26,300 रुपये की स्वीकृति (1) पुस्तकों के क्रय, (2) उपस्करों के क्रय एवं (3) भवन-निर्माण के लिए दी गयी। यह अनुदान सिर्फ क्लासिफाइड पुस्तकालयों को ही दिया गया।

(ख) छात्रों को रियायती मूल्य पर पाठ्य-पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका की आपूर्ति :

छात्रों को रियायती मूल्य पर पाठ्य-पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका तथा उत्तर पस्तिका उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र सरकार से अप्रील, 1980 से मार्च, 1981 की

अवधि में निम्नांकित मदों में निम्नांकित मात्रा में (टन में) रियायती कागज का आवंटन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ।

तिमाही का नाम।	पाठ्य-पुस्तक	अभ्यास पुस्तिका	परीक्षा	प्राइवेट पब्लिसर्स	वयस्क शिक्षा	कुल
1	2	3	4	5	6	7
अप्रील-जून,--1980	400	500	10	100	5	1,015
जुलाई—सितम्बर, 1980	920	1,375	30	100	9	2,434
अक्टूबर—दिसम्बर, 1980	600	2,300	50	180	..	3,130
जनवरी—मार्च, 1981	600	2,420	30	90	..	3,140
कुल ..	2,520	6,590	120	470	14	9,719

राज्य स्तरीय कागज वितरण एवं नियंत्रण समिति द्वारा बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिसिंग कारपोरेशन, पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं, प्राईवेट पब्लिसर्स तथा अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं को उपर्युक्त संबंधित कागज मिलों से प्राप्त कर पाठ्य-पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका तथा उत्तर पुस्तिका तैयार कर छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है। पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम के माध्यम से वर्ग 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को तथा वर्ग 4 और 5 के हरिजन एवं आदिवासी विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तक देने की व्यवस्था भी की गयी है।

अभ्यास पुस्तिका की आपूर्ति :

अभ्यास पुस्तिका निर्माता सीधे मील से कागज प्राप्त कर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर कॉपी तैयार कर बिहार राज्य खाद्य एवं आपूर्त्ति निगम को देते हैं। खाद्य निगम शिक्षण संस्थाओं, पब्लिक डिट्रीब्यूशन सिस्टम की उचित मूल्य की

दुकानों तथा अन्य चयनित विक्री केन्द्रों के माध्यम से छात्रों को अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध कराता है। सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, निबंधक, अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड तथा सभी शिक्षण संस्थाओं को खाद्य निगम की विक्री व्यवस्था में आवश्यक सहयोग के लिए अनुरोध किया गया है। निधि के रूप में अभ्यास पुस्तिका की खरीद-बिक्री में शिक्षण संस्थाओं के छात्र कल्याण कोष की राशि भी उपयोग करने के लिये कहा गया है।

भागलपुर इंजिनियरिंग कालेज को जनवरी---मार्च, 1981 तिमाही में 3 टन कागज दिया गया। उससे वे कौपी तैयार कर अपने सहयोग समिति के माध्यम से छात्रों को कौपी उपलब्ध करा रहे हैं। अन्य विश्वविद्यालयों को अपने प्रेस से कौपी तैयार कर छात्रों को उपलब्ध कराने के लिये प्रेरणा दी जा रही है। खाद्य निगम ने अपना बिक्री केन्द्र बी० एन० कालेज, पटना तथा साईन्स कालेज, पटना में भी खोला है।

टेक्स्ट बुक :

टेक्स्ट बुक मद में प्राप्त सभी कागज को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम को दे दिया जाता है। निगम मिल्स से कागज उठाकर पुस्तकें मुद्रित कर विक्री करता है।

प्राईवेट पब्लिसर्स :

प्राईवेट पब्लिसर्स मद में प्राप्त कागज को विभिन्न प्राईवेट पब्लिसर्स को दे दिया जाता है। प्राईवेट पब्लिसर्स मिल से सीधे कागज प्राप्त कर पुस्तकें मुद्रित करते हैं। 160 पृष्ठों पर आधारित सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नांकित मूल्य तालिका के आधार पर पुस्तकों के मूल्य रख कर विक्री करते हैं।

क्रमांक	कागज के साईज	सामान्य पुस्तकें	गणित एवं विज्ञान की पुस्तकें
1	2	3	4
1	क्राउन ऑक्टोभो	(1) मनोपोली—2.30 ..	3.00
		(2) नन मनोपोली—2.50 ..	3.80
2	डिमाई ऑक्टोभो	(1) मनोपोली—2.90 ..	3.80
		(2) नन मनोपोली—3.00 ..	4.00
3	रोआयल ऑक्टोभो	(1) मनोपोली—4.00 ..	5.20
		(2) नन मनोपोली—4.50 ..	6.00

(ग) बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि०

बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि०, पटना एक स्वशासी संस्थान है जो राष्ट्रीयकृत विद्यालीय पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन एवं विपणन करता है। यह सरकारी उपक्रम है। इसकी प्राधिकृत पूंजी 1.50 करोड़ एवं अभिदत्त पूंजी 11.25 लाख रुपया है। उसका एक निदेशक पर्षद है जिसके अध्यक्ष श्री जय नारायण मेहता हैं। श्री रामचन्द्र प्रसाद वर्मा कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक हैं।

1980-81 वित्तीय वर्ष में कारपोरेशन ने वर्ग 1 से 3 के सभी छात्र/छात्राओं तथा वर्ग 4 एवं 5 के सभी अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क वितरण हेतु 1.30 करोड़ पुस्तकों का तथा वर्ष 4 से 10 तक के छात्र/छात्राओं हेतु बिक्री के लिए 45.50 लाख पुस्तक प्रतियों का मुद्रण कराया। निःशुल्क पुस्तकों का वितरण बिहार राज्य शिक्षक सहयोग संघ के माध्यम से होता है और बिक्री की पुस्तकों के लिए 66 थोक विक्रेता नियुक्त हैं। ये थोक विक्रेता अपने क्षेत्र में स्वयं खुदरा विक्रेताओं की नियुक्ति करते हैं। थोक विक्रेताओं को जो 16 प्रतिशत कमीशन मिलता है उसमें से वे 12 प्रतिशत खुदरा विक्रेताओं को कमीशन देते हैं। आलोच्य वर्ष में जनवरी से मार्च तक कर्मचारियों की हड़ताल आदि से मुद्रण एवं वितरण व्यवस्था में व्यवधान हुआ। इस वर्ष 4.24 करोड़ रुपये सकल मूल्य की पुस्तकें बिकीं तथा आयकर देने के पूर्व अनुमानित लाभ लगभग 60 लाख रुपये होने की आशा है। गत् तीन वर्षों के लाभ का ब्योरा निम्नांकित है:—

	बिक्री सकल मूल्य (करोड़ में)	लाभ (लाख में)
1	2	3
1977-78 ..	4.20	66.50
1978-79 ..	3.87	88.23
1979-80 ..	2.64	60.00 लगभग
1980-81 ..	4.38	60.00 लगभग

कारपोरेशन का अपना प्रेस है जो कार्यवाहक प्रबंधक एवं उत्पादन प्रबंधक की देखरेख में चलता है। इनके अतिरिक्त प्रेस में तत्काल तीन पदाधिकारी एवं 212 कर्मचारी हैं। निगम के प्रांगण स्थित अपने गोदाम का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग फीट है। इसमें कागज और मुद्रित पुस्तकें रखी जाती हैं। बिक्री शाखा के प्रभारी बिक्री पदाधिकारी हैं।

इनके अतिरिक्त प्रकाशन शाखा में शैक्षिक निबंधक पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में तथा सचिव कारपोरेशन के प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में प्रबंध निदेशक की सहायता करते हैं।

(घ) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

यह समिति सम्पूर्ण राज्य में माध्यमिक परीक्षा का संचालन करती है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा तथा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट परीक्षाओं का भी संचालन करती है। समिति की स्थापना 1952 में हुई। इसमें अध्यक्ष सहित सात सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होता है।

1952 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में लगभग 33 हजार परीक्षार्थी बैठे थे। तब से परीक्षार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी है। 1980 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में लगभग तीन लाख पन्द्रह हजार परीक्षार्थी बैठे, जिनमें 61.54 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए।

आर्थिक दृष्टि से समिति अबतक आत्मनिर्भर रही है। इसकी आय का एकमात्र स्रोत परीक्षार्थियों से मिलनेवाला शुल्क है। अबतक सरकार से इसे कोई अनुदान नहीं मिला है। वर्ष 1980-81 में कुल आय (प्रिवियस बैलेंस छोड़कर) 2,01,52,000 रु० और व्यय 2,22,10,000 रु० हुआ।

समिति का यह उद्देश्य तो है ही कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों की उपलब्धि का सम्यक मूल्यांकन हो। साथ ही समिति यह भी चाहती है कि परीक्षा मात्र एक 'जजमेंटल अफेयर' न होकर शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार का माध्यम बने।

कदाचार रहित परीक्षा संचालन एवं उचित मूल्यांकन की दिशा में समिति ने पिछले वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं :—

(1) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति है, जिसकी अनुशंसा के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का चयन किया जाता है तथा किस केन्द्र में किस विद्यालय के परीक्षार्थी बैठेंगे, यह भी निर्णय किया जाता है।

(2) प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता के निमित्त बैंकों और जहां बैंक न हों, वहां प्रखंड कोषागार में प्रश्न-पत्र रखने की व्यवस्था की जाती है, जहां से प्रतिदिन परीक्षा प्रारम्भ होने से 1 घंटा पहले प्रश्न-पत्र के पैकेट केन्द्राधीक्षकों को प्राप्त कराये जाते हैं।

(3) प्रत्येक जिला में एक मुख्य पर्यवेक्षक और प्रत्येक केन्द्र में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। साथ ही 4-5 केन्द्रों के एक-एक समूह पर एक-एक चलन्त टोली का गठन किया जाता है, जो परीक्षा अवधि में केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करती है। प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर आरक्षी दल के प्रतिनियोजन और पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था की जाती है।

(4) पिछले 10 वर्षों से उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन कराया जाता है, जिससे मूल्यांकन में एकरूपता, पैरवी पर रोक-थाम और समय पर मूल्यांकन की दिशा में काफी सफलता मिली है।

(5) पिछले 10 वर्षों से परीक्षाफल कम्प्यूटर से तैयार कराया जाता है। इसके फलस्वरूप समय पर परीक्षाफल प्रकाशन तथा प्राप्तांक पत्रक एवं प्रमाण-पत्र निर्गत कर सकने में सुविधा हुई है। साथ ही मैनुअल टेबुलेशन में कभी-कभी जो कदाचार की शिकायत मिलती थी, उसकी रोक-थाम हुई।

परीक्षा शिक्षा के स्तर में सुधार का माध्यम बने, इस उद्देश्य से समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद के मार्ग दर्शन में कई कर्मशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन किया है। इन कर्मशालाओं एवं गोष्ठियों में विचार-विमर्श के फलस्वरूप प्रश्न-पत्रों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता लाने का प्रयास किया गया है। तीन भागों में "प्रश्न-पत्र प्रारूप एवं प्रश्न-पत्र अधिकोष" नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, जिसके आलोक में अध्यापकों एवं परीक्षार्थियों की विद्यालयों में शिक्षण आयोजित करने तथा परीक्षा के लिये तैयारी करने में सहायता मिली है। अध्ययन अध्यापन को सोद्देश्य और अधिक सुनियोजित बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक विषय में यूनिट टेस्ट आईटम्स को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

13. छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1981-82 के लिये स्वीकृत परियोजनाओं के अतिरिक्त, मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा घोषित नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(*i*) छात्रवृत्ति की दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि

वर्ष 1980-81 में विभिन्न छात्रवृत्तियों की संख्या पहले से दूनी कर दी गई है। 1979-80 में जहां विभिन्न स्तर के छात्रवृत्तियों की संख्या लगभग 31 हजार

थी, उन्हें 1980-81 में बढ़ाकर 62 हजार कर दिया गया है। राज्य सरकार यह महसूस करती है कि बढ़ी हुई महंगाई के कारण छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मंत्री ने 1981-82 से छात्रवृत्ति की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि की भी घोषणा की है। वर्द्धित दर से छात्रवृत्ति के भुगतान में 1981-82 में 1.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि का व्यय होगा। स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ii) प्रत्येक प्रखंड में एक राजकीय बालिका विद्यालय सहित कम से कम चार उच्च विद्यालयों की स्थापना

राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि बहुत से ऐसे प्रखंड हैं जहां आबादी घनी नहीं है और क्षेत्र बड़ा है। ऐसी जगहों में पढ़ाई की सुविधा पर्याप्त नहीं है। बालिकाओं के लिये राज्य के बहुत सारे प्रखंडों में पृथक विद्यालय नहीं हैं। मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम चार माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जायगी और जिस प्रखंड में बालिका माध्यमिक विद्यालय नहीं रहेगा, वहां उन चार विद्यालयों में एक महिला माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जायगी। यह कार्य 1984-85 तक पूरा कर लेना है। 1981-82 में इस परियोजना पर 7.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(iii) प्रत्येक प्रखण्ड में एक मध्य एवं प्रत्येक जिले में एक उच्च आवासीय विद्यालय की स्थापना

हरिजन एवं आदिवासी समुदाय में द्रुतगति से विकास लाने के लिये मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि प्रत्येक प्रखंड में एक आवासीय मध्य विद्यालय एवं प्रत्येक जिले में एक आवासीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जायगी। योजना विभाग ने आवासीय माध्यमिक विद्यालय के लिये 1.32 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। आवासीय मध्य विद्यालय की स्थापना के लिये अलग से राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। 1981-82 के लिये हरिजन/आदिवासी छात्रों के लिये प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत उपस्थिति उत्प्रेरक छात्रवृत्ति 15 रु० प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से स्वीकृत करने का प्रावधान था। किन्तु राज्य सरकार ने इस परियोजना को बन्द कर आवासीय विद्यालय खोलने में अधिक हित-साधन समझकर ऐसा निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिये उपबंधित 2.00 करोड़ की राशि से ही यह कार्य संपन्न किया जायगा। स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के लिये विभाग में कार्रवाई चल रही है।

(iv) क्रीड़ा-केन्द्रों की स्थापना

मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक क्रीड़ा-केन्द्र की स्थापना की जायगी। इस कार्य में 1981-82 वर्ष में 0.66 करोड़ रुपये व्यय होंगे। स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग कर रहा है।

(v) स्नाकोत्तर शिक्षा का प्रसार

मुख्य मंत्री ने स्नातकोत्तर शिक्षा के प्रसार की घोषणा की है। 1981-82 में सहरसा, दुमका एवं चाईबासा में अवस्थित महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तीस लाख के कुल लागत पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

(vi) ललित कला संकाय की स्थापना

विश्वविद्यालय स्तर पर ललित कला की पढ़ाई के लिये मुख्य मंत्री ने ललित कला संकाय की स्थापना की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 1981-82 में मगध विश्वविद्यालय में संकाय की स्थापना की जा रही है। ललित कला संकाय के लिए 6 लाख रु० की राशि की व्यवस्था की गई है।

(vii) विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण

मुख्य मंत्री ने विश्वविद्यालयी छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण की घोषणा की है। 1981-82 में इस कार्य के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिससे राज्य के 7 विश्वविद्यालयों में एक-एक छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है तथा 6 विश्वविद्यालयों के अधीन विभिन्न 70 कालेजों के लिये छात्रावास से संलग्न भोजन-प्रशाल-सह-कैन्टीन तथा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।

(viii) सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना

मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बुक-बैंक की स्थापना की जायगी। इस कार्य हेतु 88 लाख की व्यवस्था की गई है। स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

नई योजनाओं पर ये व्यय योजना बजट से किए जायेंगे, पर इनके लिए अलग प्रतिवेदन तैयार किया जायगा। सामान्य शिक्षा प्रक्षेत्र की 1981-82 की योजना अधिसीमा में तत्काल ये समाविष्ट नहीं हैं।

बि०स०म० (शिक्षा) 9—मो० जे०—800—25-6-1981—म०ना० सहाय